महत्त्वपूर्ण

प्रेषक,

प्रबन्ध निदेशक
उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0
बी-912 सेक्टर-सी महानगर, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/
जिला प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- 646 /ग्राण्ट-इन-एड यो0/अनु0मु0/2025-26 **दिनांकः- 21/07/2025**

विषय-प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पीएम-अजय) योजनान्तर्गत ग्राण्ट-इन-एड घटक (केन्द्रीय सहायता) के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में दिशा- निर्देश।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक- 06 जून 2022 को निर्गत गाइडलाइन के चैप्टर-3, एवं समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से जारी निर्देश पत्र सं0-58 भा0स0/क0नि0प्र0/26-3-2020-21(48)/2021 टी0सी0 दिनांक- 27 जून 2022 के परिपेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 में पीएम-अजय योजनान्तर्गत ग्राण्ट-इन-एड के क्रियान्वयन हेतु परिशिष्ट-"अ" के अनुसार विस्तृत कार्ययोजना (**SOP**)/दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के ग्राण्ट-इन-एड घटक अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए योजना का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करे तथा वांछित प्रगति रिपोर्ट निगम मुख्यालय को प्रत्येक माह की 02 तारीख तक ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध कराए। कार्ययोजना के साथ राज्य स्तरीय 16 प्रोजेक्ट्स के विवरण, ग्राण्ट-इन-एड घटक हेतु आवेदन पत्र, प्री-स्क्रूटनी रिपोर्ट प्रारूप, परियोजना स्थापना निरीक्षण रिपोर्ट प्रारूप तथा समूह/क्लस्टर में वित्त पोषण हेतु आवेदन एवं प्रस्ताव प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है। कार्ययोजना (SOP) अनुगम की वेबसाइड https://upscfdc.in एवं ग्राण्ट-इन- एड की वेबसाइड https://grant-in-aid.upscfdc.in पर उपलब्ध है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

21/7

(शिव प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

पृष्ठांकन संख्या- /दिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
3. समस्त अधिकारी, अनुगम, मुख्यालय।

(शिव प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना ग्राण्ट-इन-एड (सहायता अनुदान) के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत कार्ययोजना (SOP)

प्रस्तावना

1. पृष्ठभूमि

क. भारतीय जनगणना- 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या, प्रदेश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। यह जनसंख्या लंबे समय से सामाजिक एवं शैक्षिक निर्योग्यता से पीड़ित होने के कारण आर्थिक रूप से पिछड़ गई हैं। उनके हितों की रक्षा करने एवं सामाजिक उत्थान करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों में उनके ऊपर थोपी गई किसी सामाजिक विनिर्योग्यता को हटाने के अनेक उपाय किए गए हैं जिससे कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें समान अवसर की उपलब्धता हो सके तथा उन्हें सकारात्मक पहल के साथ राष्ट्र की शेष जनसंख्या के समकक्ष लाया जा सके।

ख. भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित सर्वप्रथम लक्ष्य, "सभी भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय" प्रदान करना है। संविधान के भाग IV के अनुच्छेद 46 ("राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत") में राज्य को लोगों के कमजोर वर्गों, विशेषत: अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखते हुए उनका विकास करना आदिष्ट है। इसी भाग के अनुच्छेद 38(2) में लोगों की आय संबंधी असमानताओं को कम से कम करने और उनकी सामाजिक हैसियत संबंधी असमानताओं को समाप्त करने के लिए प्रयास करने का आदेश दिया गया है और यह असमानता न केवल व्यक्तियों के मध्य कम करनी है अथवा समाप्त करनी है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे लोगों के समूहों अथवा विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लोगों के मध्य भी कम करनी है।

ग. भारत/प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों के विकास हेतु कई पहल कार्य शुरू किए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं और अनुसूचित जातियों और शेष जनसंख्या के मध्य का अंतर भी कम हुआ है। ये पहल कमजोर वर्गों के सामाजिक एकीकरण और उन्हें शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए की गई थी। इन पहल कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित जातियों के सामाजिक परिवेश के आधारभूत एवं अवसंरचनात्मक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं कौशल विकास हेतु पूर्व में एस0सी0ए0 टू एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत अनुगम के माध्यम से संचालित आयजनित योजनाओं को समेकित करते हुये प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजनान्तर्गत ग्रान्ट-इन-एड योजना संचालित की गयी है। राज्य स्तर पर अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु बजट निर्धारित किया गया है। इसी के अनुरूप, अन्य समुदायों के साथ अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में अन्तर-पाटन के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

2. योजना के उद्देश्य:

ग्रान्ट-इन-एड योजना का उद्देश्य विस्तृत आजीविकापरक परियोजनाओं, जिनमें आयजनित योजनायें, कौशल विकास तथा आधारभूत संरचनाये सम्मिलित है, के द्वारा अनुसूचित जाति की लक्षित जनसंख्या की गरीबी को घटाना तथा उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।

इस महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये उद्यमिता विकास के माध्यम से विभिन्न उपयोगी परियोजनाओं की स्थापना सम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी, जिसमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का क्लस्टर/समूह के माध्यम से चयनोपरान्त लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। क्लस्टर/समूह द्वारा प्रस्तुत परियोजना के सफल संचालन के लिये उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा तथा बैकवर्ड/फारवर्ड लिंकेज की व्यवस्था सहित उनके उत्पादों को बाजार प्रदान करने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान किया जायेगा। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को क्लस्टर/समूह के रूप में परियोजनाओं को स्थापित कराकर आय का सृजन करने के लिये प्रति व्यक्ति रु0 50,000/- अथवा प्रोजेक्ट धनराशि का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, सहायता अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा तथा परियोजना लागत की अवशेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में होगी।

3. योजना के घटक:

इस महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उद्यमिता विकास के माध्यम से विभिन्न आय जनित परियोजनाओं की स्थापना की जायेगी, जिसमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का क्लस्टर/समूहों के माध्यम से चयन किया जायेगा एवं उनकी परियोजनाओं के सफल संचालन के लिये उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा तथा बैकवर्ड / फॉरवर्ड लिंकेज की व्यवस्था सहित उनके उत्पादों को बाजार प्रदान करने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजनान्तर्गत (पी०एम०-अजय) ग्राण्ट-इन-एड घटक के अन्तर्गत जनपद स्तर पर निवासरत अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को क्लस्टर/समूहों का निर्माण कर निम्नांकित प्राविधानों के अन्तर्गत लाभान्वित कराया जाना है:-

(क) **कौशल विकास-** कौशल विकास और उदयमिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कौशल विकास के लिये परियोजनायें और सरकारी कौशल विकास संस्थाओं द्वारा संचालित कौशल विकास गतिविधियों से अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को जोड़कर उन्हे रोजगारपरक प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान करना।

उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० मुख्यालय लखनऊ *

(ख) **आय सृजक योजनायें-** व्यापक आजीविका सृजन के लिये आवश्यक लाभार्थियों / परिवारों हेतु सम्पत्ति के अधिग्रहण / निर्माण का प्राविधान है। ऐसे अधिग्रहण सम्पत्ति के निर्माण हेतु लाभार्थी द्वारा लिये गये ऋण के सापेक्ष प्रति लाभार्थी / परिवार रू० 50,000/- अथवा प्राजेक्ट धनराशि का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, प्रदान की जायेगी।

(ग) **अवसंरचना निर्माण सम्बन्धी परियोजनायें-** उक्त परियोजनाये जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति (डी0एल0पी0ए0सी0सी0) से अनुमोदित परियोजनाये ही इससे अच्छादित होंगी जिन्हे राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक होगा। योजना से सम्बन्धित बुनियादी ढाँचे का विकास परियोजनाओं में तीन क्षेत्रों में से दो क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जायेगा, जबकि अवसंरचना निर्माण का कार्य अनिवार्यतः प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में ही किया जायेगा।

4. लाभार्थियों की अर्हता:-

I. लाभार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो।

II. लाभार्थी जनपद का निवासी हो।

III. लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो।

IV. लाभार्थी का परियोजना की जरूरतानुसार साक्षर होना अनिवार्य है।

V. लाभार्थी क्लस्टर एवं समूह के रूप में कार्य करने का इच्छुक हो।

VI. लाभार्थी पूर्व में निगम द्वारा संचालित योजनाओं का बकायेदार न हो तथा ओटीएस के माध्यम से ऋण अदायगी न की गयी हो।

VII. वे लाभार्थी, जिनकी अगली पीढ़ी के वैधानिक उत्तराधिकारियों को अनुगम द्वारा पूर्व संचालित योजनाओं यथा:- दुकान निर्माण, लाण्ड्री, वाहन आदि स्थानांतरित हुई हैं एवं वे अभी भी योजना के बकायेदार हैं, को भी योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

VIII. लाभार्थियों के चयन में आय की कोई सीमा निर्धारित नही है, किन्तु रू0 2.50 लाख (ढाई लाख रूपये) वार्षिक आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी।

IX. व्यवसाय हेतु लाभार्थियों का चयन करते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में उक्त परियोजना राज्य सरकार के किसी अन्य योजना/एस0सी0ए0 अम्ब्रेला योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषित न हो।

X. योजनान्तर्गत ग्रुप एवं क्लस्टर हेतु परिवार इकाई होगा।

UPSCFDC.IN

5. लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया:-

लाभार्थियों का चयन ग्रान्ट-इन-एड योजनान्तर्गत अनुगम मुख्यालय स्तर से विकसित किये गये पोर्टल (अजय-उद्यमी) के माध्यम से ऑनलाइन (पोर्टल से)/ऑफलाइन (कार्यालय के माध्यम से) पंजीकृत किया जायेगा (स्टेट पोर्टल में प्रदान की गयी पंजीकरण संख्या के आधार पर ही प्रथम आवत-प्रथम पावत के सिद्धान्त पर लाभार्थियों की गणना होगी) । तत्क्रम में सम्बन्धित जनपद को उनके लाभार्थियों की सूची जनपद स्तर को ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रेषित की जायेगी । तत्पश्चात आवेदक द्वारा अजय-उद्यमी पोर्टल पर अंकित की गयी प्रारम्भिक सूचनाओं के क्रम में योजनान्तर्गत निर्धारित अर्हता को पूर्ण कराये जाने सम्बन्धी समस्त प्रपत्रों का ऑनलाइन/ ऑफलाइन सत्यापन कर भौतिक रूप से समूह/क्लस्टर के रूप में परियोजना संचालन के सम्बन्ध में प्रोजेक्ट वैलिडिटी तथा बैंक ऋण स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक अनुगम की अध्यक्षता में गठित प्री-स्क्रूटनी समिति के निम्न सदस्यों द्वारा किया जायेगा:-

I.	जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/ जिला प्रबन्धक अनुगम	अध्यक्ष
II.	सहायक प्रबन्धक/सहायक परियोजना प्रबन्धक अनुगम	सदस्य सचिव
III.	टैली आपरेटर (एकाउन्टस)/लेखा अनुगम	सदस्य
IV.	वरिष्ठ ग्राम/सहायक विकास अधिकारी (स0क0)	सदस्य

नोट:- 1. क्रमॉक 02 एवं 03 पर अंकित सदस्यों की अनुपलब्धता की स्थिति में समिति अध्यक्ष समा कल्याण विभाग के ग्राम विकास अधिकारी (स0क0)/सहायक विकास अधिकारी (स0क0) तथा लेखाकार जिनके पास उक्त पद का प्रभार हो को नामित कर सकते हैं।

2. प्री-स्क्रूटनी समिति के समस्त सदस्यगण अपने जनपद में परिवार के सदस्यों को योजना से लाभान्वित कराने हेतु आवेदन नही करा सकते।

क. प्री-स्क्रूटनी सदस्यों की संख्या, समिति संरचना में परिवर्तन, अन्य किसी व्यक्ति को नामित करने के सम्बन्ध में निर्णय तथा प्री-स्क्रूटनी समिति के सदस्यों के दायित्वों का निर्धारण/परिवर्तन का अधिकार प्रबन्ध निदेशक अनुगम में निहित होगा।

ख. बैंक द्वारा ऐसे अस्वीकृत ऋण आवेदन पत्र जो एक बार निरस्त किये गये होंगे उन आवेदन पत्रों को जनपद स्तरीय पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदनोपरांत ही पुनः बैंकों को प्रेषित किये जा सकेंगे।

ग. जो प्रोजेक्ट राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृत हुये हैं, उन प्रोजेक्टों को प्री-स्क्रूटनी समिति से स्वीकृति के पश्चात मुख्य विकास अधिकारी के स्तर से अवलोकित कराकर सहमति प्राप्त होने के पश्चात ही पी0एम0-अजय के ग्रान्ट-इन-एड योजनान्तर्गत अनुदान हेतु पात्र होगें।

घ. जनपद स्तरीय प्रोजेक्ट भारत सरकार की अनुमति हेतु प्री-स्क्रूटनी समिति से समूह/क्लस्टर के माध्यम से चयनित लाभार्थियों की सूची जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित डी0एल0पी0ए0सी0सी0 समिति से अनुमोदन प्राप्त करेगी। तदोपरान्त ही राज्य/केन्द्र स्तर से अनुमोदित परियोजनाओं के अन्तर्गत ग्राण्ट-इन-एड में अनुदान सहायता प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा।

ङ. प्री-स्क्रूटनी समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का सप्ताह में 02 दिन स्क्रूटनी करना सुनिश्चित करेगी, जिसमें CIBIL स्कोर (Score) वेरीफिकेशन, पेनी-ड्राप के माध्यम से संचालित खाते की जॉच करना, संलग्न प्रमाण पत्रों की जॉच करना तथा पुरानी अनुगम योजना का लाभार्थी जिसने ऋण जमा न किया हो अथवा ओ0टी0एस0 से जमा किया हो ऐसे लाभार्थी को लाभान्वित नही किया जा रहा है के सम्बन्ध में वसूली सहायक/कार्मिक जिसके पास चार्ज हो से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रोजेक्ट को अनुदान व बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु अग्रसारित करेगी।

च. लाभार्थी चयन में विशेष कर यह ध्यान रखा जायेगा कि वह व्यवसाय करने हेतु समूह/क्लस्टर के माध्यम से इच्छुक हों तथा ऋण की अदायगी समय पर कर सके। लाभार्थी चयन में पूर्ण पारदर्शिता अपनायी जायेगी तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा:-

क. प्रथम आगत-प्रथम पावत के सिद्धान्त का पालन किया जायेगा।

ख. योजनान्तर्गत भारत सरकार की गाइडलाइन में दी गयी व्यवस्थानुसार महिलाओं एवं दिव्यागों को योजना से लाभान्वित करने में प्राथमिकता दी जायेगी तथा उत्तर प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति के ट्राण्सजेन्डर समुदायों से प्राप्त आवेदनो पर प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

ग. किसी जिले में निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने/ विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय जनपद के मुख्य विकास अधिकारी में निहित होगा।

छ. लाभार्थियों का चयन समूह/क्लस्टर के माध्यम से किये जाने हेतु राज्य स्तर पर प्रबन्ध निदेशक के अनुश्रवण में मीडिया प्रभारी /योजना प्रभारी (राज्य स्तर) तथा जनपदों में जिला प्रशासन के सहयोग से जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक अनुगम द्वारा विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये ग्रान्ट-इन-एड घटक के अन्तर्गत विकसित पोर्टल अजय-उद्यमी के माध्यम से पंजीकृत किया जायेगा।

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 मुख्यालय लखनऊ

ज. जाति एवं आय प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो तथा उसकी पुष्टि ऑनलाइन सत्यापित करा ली जाये।

झ. लाभार्थियों के चयन के उपरान्त प्रत्येक लाभार्थी से ऋण आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कराते समय आवेदकों से सम्पर्क हेतु दूरभाष/मोबाइल नम्बर/पता/आधार नम्बर ऋण आवेदन पत्र पर अवश्य अंकित किया जाय। (लाभार्थी का मोबाइल नम्बर आधार से लिंक व चालू होना अनिवार्य)

6. <u>ग्रान्ट-इन-एड के लाभार्थियों को लाभान्वित करने के प्रकार:-</u>

क. <u>समूह में वित्तपोषण:-</u>

इस मॉडल में समूह एक उधार लेने वाली इकाई के रूप में काम करता है। समूह एक इकाई हेतु ऋण का आँकलन करने के लिए पात्र होगा, जो इसके सभी सदस्यों की ऋण आवश्यकता को जोड़ सकता है। समूह का ऋण मूल्यांकन जेएलजी के प्रत्येक सदस्य के लिए उपलब्ध कृषि/गैर-कृषि क्षेत्र या एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र में की जाने वाली गतिविधि पर आधारित हो सकती है। सभी सदस्य संयुक्त रूप से दस्तावेज निष्पादित करेंगे और संयुक्त रूप से और अलग-अलग ऋण देयता के स्वामी होंगे तथा निम्न शर्तो से बंधे होगे:-

i. समस्त सदस्यो की देयता समान मानते हुये परियोजना पर प्रत्येक सदस्य की समान लागत का 50 प्रतिशत अथवा 50 हजार जो भी कम होगा का आगणन करते हुये समूह के प्रति सदस्य को अनुदान की धनराशि भी समान देय होगी।

ii. समूह के सभी सदस्यो को कम से कम हर 03 माह में योजना के सम्बन्ध में बैठक करना तथा उसकी रिपोर्ट जनपद कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करना होगा साथ ही बैठक की कार्यवाही बैठक रजिस्ट्रर पर अंकित करना अनिवार्य होगा।

iii. समूह में एक अध्यक्ष होगा, जो समूह के संचालन की समस्त जिम्मेदारी वहन करेगा।

iv. समूह में न्यूनतम दो अधिकृत प्रतिनिधि होंगे जो बैंक से समूह व्यवसाय के सम्बन्ध में समस्त लेन देन करेगे व लाभ-हानि का खाता तैयार करेंगें।

v. अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वह 6 महीने में उपरोक्त प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित(रोटेट) करेंगे तथा समूह के नए व्यक्तियों को जिम्मेदारी सौपेंगें।

vi. समूह के सफल क्रियान्वयन की समस्त जिम्मेदारी अध्यक्ष की होगी। वह समय-2 पर जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)को समूह की गतिविधियों के सम्बन्ध में सूचित करेगा।

vii. यदि कोई सदस्य समूह छोड़ना चाहता है तो अध्यक्ष सुनिश्चित करेगा कि जाने वाले सदस्य की देयता एवं सम्पत्ति परस्पर में समान (Vis-a-Vis) किसी अन्य व्यक्ति को समूह में जोड़ा जा सकता है। जिसकी अनुमति जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) से लिया जाना आवश्यक होगा।

समूह गठन की प्रक्रिया-

i. समूह का कोरम पूर्ण किये जाने हेतु समूह में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 03 निर्धारित की गयी है। समूह के सफल संचालन हेतु सर्वसम्मित से अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन किया जायेगा तथा अन्य व्यक्ति सदस्य के रूप मे नामित रहेंगे। कोषाध्यक्ष हेतु सदस्य को वित्तीय ज्ञान होना आवश्यक है।

ii. समूह में न्यूनतम सदस्यों की बाध्यता 03 की है तथा एक समूह में अधिकतम सदस्यो की संख्या 10 से अधिक नही होगी।

iii. ऐसा कोई समूह जिसमें 10 से अधिक सदस्य हो इसकी अनुमति प्रोजेक्ट की अर्हता के आधार पर प्रबन्ध निदेशक अनुगम से प्राप्त की जानी होगी।

iv. समूह गठन की प्रक्रिया अन्तर्गत अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के चयन में यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक अनुगम के स्तर पर किया जाएगा।

ख. कलस्टर में व्यक्तियों का वित्तपोषण:-

कलस्टर के माध्यम से चयनित लाभार्थियों के व्यक्तिगत ऋण प्रपत्रों का वित्तपोषण करने वाली बैंक शाखायें अलग-अलग हो सकती है व पृथक रूप से ऋण प्राप्त करने के लिए लाभार्थी पात्र होगा। क्लस्टर के सभी सदस्य संयुक्त रूप से जिला प्रबन्धक अनुगम के कार्यालय में परस्पर दस्तावेज अनुबन्ध के रूप में निष्पादित करेंगे। क्लस्टर को वित्तपोषित करने वाली बैंक शाखा द्वारा कलस्टर में कार्य करने वाले व्यक्ति का ऋण अवशोषण क्षमता के आधार पर व ऋण आवश्यकता का ऑकलन करने के उपरान्त ऋण स्वीकृति करेगा। कलस्टर में सभी व्यक्तियों द्वारा लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए प्रत्येक को अलग-अलग उत्तरदायी माना जायेगा।

डेयरी, पोल्ट्री आदि जैसी गैर-कृषि गतिविधियों के मामले में ऋण आवश्यकता का समान मूल्यांकन किया जाएगा। कलस्टर में एक प्रकार के कार्य करने के बावजूद भी लाभार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अलग-2 मूल्यांकन किया जायेगा। सभी सदस्यों के बीच व्यक्तिगत ऋण देयता की राशि के बारे में आपसी सहमति और आम सहमति होनी चाहिए।

i. सभी व्यक्ति कलस्टर में कार्य करने के लिए प्रभावी फॅारवर्ड लिंकेज हेतु ''अजय-उद्यमी'' ऐप से अवश्य जुड़ेंगें।

ii. इन सभी कलस्टर आधारित परियोजनाओं की एक रूपता के आधार पर बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण के सापेक्ष बैंक गारण्टी (सी0जी0टी0एम0एस0ई0) के अन्तर्गत लेना आवश्यक होगा।

iii. क्लस्टर में लाभार्थियों का चयन राज्य/जनपद स्तर से स्वीकृत परियोजनाओं के अनुरूप किया जायेगा।

7. प्रशिक्षणः-

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी0एम0-अजय) के घटक ग्रान्ट-इन-एड की गाइडलाइन एवं कौशल विकास मिशन द्वारा जारी क्वालिटी ट्रेनिंग फ्रेमवर्क के प्राविधानों को सम्मिलित करते हुए ग्रान्ट-इन-एड घटक अन्तर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है।

क. प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर राज्य द्वारा चयनित प्रशिक्षणदायी संस्थाओं द्वारा कराया जायेगा।

ख. प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के निम्न दायित्व होगेः-

i. प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों की कौशल विकास की जॉच तथा उपस्थिति मिलान का सम्पूर्ण दायित्व होगा।

ii. उपस्थिति के सापेक्ष प्लेसमेन्ट/इकाई स्थापना हेतु संस्तुति की रिपोर्टिंग मुख्यालय एवं पोर्टल पर अपलोड करने का दायित्व होगा।

iii. प्रशिक्षण पूर्ण होने एवं प्लेसमेन्ट के उपरान्त प्रशिक्षणदायी संस्था को कौशल विकास के नियमों के अन्तर्गत धनराशि मुख्यालय से निर्गत कराने हेतु प्रमाण-पत्र भेजने का दायित्व होगा।

ग. कार्यहित में नये ट्रेनिंग पार्टनर्स को जोड़ना/घटाना, अनुबंधित ट्रेनिंग पार्टनर्स के कार्यो में संशोधन करना/घटाना/बढ़ाना जिला प्रबन्धक की अनुशंसा रिपोर्ट पर प्रबन्ध निदेशक अनुगम के द्वारा किया जायेगा।

8. प्रशिक्षणदायी संस्थाओं के चयन के सम्बन्ध मेः-

क. प्रशिक्षण दायी संस्थाओं का चयन अनुगम मुख्यालय द्वारा ट्रेनिग पार्टनर के रूप में किया जायेगा। जिन्होने ग्राण्ट-इन-एड योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक-06 जून 2022 को जारी गाइडलाइन के चैप्टर-03 एवं उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या- 58 भा0स0/क0नि0प्र0/26-3-2022-21(48)/2021 टी0सी0 दिनांक- 27 जून 2022 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत नियमानुसार राज्य स्तर से चयन किया जायेगा।

ख. ऐसे ट्रेनिंग पार्टनर्स को वरीयता प्रदान की जायेगी, जो पब्लिक सेक्टर्स के हो और ट्रेनिंग देने का व्यापक अनुभव हो जिन्होने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त परियोजानों के अन्तर्गत पूर्व में भी प्रशिक्षण प्रदान किया हो।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 मुख्यालय लखनऊ

ग. ट्रेनिंग पार्ट्नर्स को अपने अनुबंध में विस्तृत रूप से अपनी ट्रेनिंग लैब, ट्रेनिंग दाता आदि के सम्बन्ध में पूर्ण उल्लेख किया गया हो। जिसका भौतिक सत्यापन जनपद स्तर पर जिला प्रबन्धक/ जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) द्वारा किया जायेगा।

घ. ट्रेनिंग पार्टनर्स द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन सम्बन्धित श्रेणी के सेक्टर/स्किल काउंसिल से कराना अनिवार्य होगा।

ङ. चयनित ट्रेनिंग पार्टनर्स किसी भी प्रशिक्षण कार्य को सबलेट नहीं कर सकते हैं तथा ऐसा पाये जाने पर प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे दी गयी धनराशि के रिकवरी के साथ-साथ ट्रेनिंग पार्टनर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा।

च. जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) को ट्रेनिंग पार्ट्नर्स द्वारा चलाये जा रहे ट्रेनिंग सेण्टर का भौतिक सत्यापन के दौरान निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अवश्य रूप से पालन करने होंगे:

- ट्रेनिंग सेण्टर पर पी०एम०अजय योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग करायी जाती है, इस आशय सम्बंधित सूचना दूर से ही दृष्टिगत हो।
- ट्रेनिंग सेण्टर ट्रेनिंग पार्ट्नर्स के नाम पर रजिस्टर्ड/लीज्ड होना चाहिए।
- ट्रेनिंग सेण्टर, अनुगम द्वारा विकसित ट्रेनिंग सम्बंधित पोर्टल पर प्रबंध निदेशक, अनुगम से अनुमोदित होना चाहिए।
- ट्रेनिंग सेण्टर निकासी, वेंटिलेशन, फायर सुरक्षा आदि सम्बंधित प्रचलित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
- ट्रेनिंग सेण्टर के क्लासरूम में ऑडियो-विडियो उपकरण होने चाहिए।
- ट्रेनिंग सेण्टर में स्किलिंग/जॉब-रोल के अनुसार लैब में प्रशिक्षण उपकरण अवश्य होने चाहिए उदहारण के तौर पे सिलाई मशीन, इलेक्ट्रिक किट, सोलर किट आदि।
- ट्रेनिंग सेण्टर NVR (नेटवर्क विडियो रिकॉर्डर) आधारित सीसीटीवी कवरेज पे होना चाहिए चाहिए जिससे की लाइव फीड को विभिन्न स्तर पे अनुश्रवण किया जा सके।
- डिजिटल आधारित ट्रेनिंग हेतु ट्रेनिंग सेण्टर पर अच्छी इन्टनेट कनेक्टिविटी की सुविधा होनी चाहिए।
- ToT (Training of Trainers)-सर्टिफाइड ट्रेनर्स जिनको इंडस्ट्री आधारित अनुभव हो वे ही ट्रेनिंग देने हेतु पात्र होंगे।

UPSCFDC.IN

- ट्रेनिंग सेण्टर का पूरा पता एवं गूगल-लोकेशन को पोर्टल पे जनपदीय कार्यालय द्वारा सत्यापन के उपरांत डालना अनिवार्य होगा।
- ट्रेनिंग सेण्टर पर आधार आधारित बायोमेट्रिक/फेसिअल मशीन से प्रशिक्षणार्थी आगमन एवं प्रस्थान पे उपस्थिति दर्ज करवाइए जायेगी, जिसका डाटा पोर्टल पे ट्रेनिंग पार्टनर्स एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के संयुक्त हस्ताक्षर से अपलोड किया जाएगा।
- ट्रेनिंग सेण्टर पे बेसिक सुविधाएं जैसे की पीना योग्य पानी, साफ़-सफाई, दिव्यांग्जन सम्बंधित सुविधाएं आदि की व्यवस्था करने की संपूर्ण जिम्मेदारी ट्रेनिंग पार्टनर की होगी।

9. प्रशिक्षण देने में विभिन्न स्टेक होल्डर्स के कार्य

क. प्रशिक्षणदायी संस्था प्री-स्क्रूटनी समिति द्वारा चयनित लाभार्थियों को ट्रेनिंग के दौरान प्रतिदिन बायोमैट्रिक्स व फेस उपस्थिति प्रणाली के साथ प्रशिक्षणकार्ताओं की उपस्थिति दर्ज करेंगें जो पोर्टल से लिंक होगी।

ख. ट्रेनिंग सेण्टर के क्लास रूम को भी सी0सी0टी0वी0 के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

ग. प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा लाभार्थी का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त प्रमाण-पत्र वितरण की कार्यवाही जिला प्रबन्धक/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा।

घ. प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा प्रशिक्षण के दौरान निर्धारित मानको के अनुसार विभिन्न व्यवस्थायें करेगी यथाः-फर्नीचर, वेंटिलेशन, लैब, निगरानी हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं योग्य व कुशल प्रशिक्षक, भोजन, नाश्ता एवं पीने योग्य पानी की व्यवस्था प्रशिक्षणकर्ताओं हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

ङ. प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा 40-50 लाभार्थियों का ट्रेनिंग बैच तैयार कर प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगी, बैच में प्रशिक्षणर्थियों की संख्या को घटाने बढ़ाने का अधिकार जिला प्रबन्धक/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) के अधिकार में निहित होगा तथा बैच स्वीकृति प्रपत्र में प्रशिक्षणर्थियों की संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जायेगी।

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 मुख्यालय लखनऊ

च. प्रशिक्षणदायी संस्था की जिम्मेदारी ट्रेनिंग प्रक्रिया को कुशल बनाने के लिए जरूरी कोर्स मैटैरियल तथा लर्निंग मैटिरियल उपलब्ध कराने की होगी।

छ. प्रशिक्षणदायी संस्था जनपदीय कार्यालय की अनुमति/सहयोग से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में लाभार्थियों को जोड़ने का कार्य भी करेगी जिससे भारत सरकार व प्रदेश सरकार की नीति के अन्तर्गत समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी योजना से आच्छादित किया जा सके।

ज. प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा प्रदर्शित टेबल के अनुसर ट्रेनिंग पूर्ण कराना सुनिश्चित कराना होगा, अपरिहार्य कारणों से विलम्ब होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) से स्वीकृति कारण सहित प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

ट्रेनिंग का प्रकार	ट्रेनिंग समयावधि (घंटे में)	अनुमानित प्रशिक्षण समय
शार्ट टर्म ट्रेनिंग	(120 से 600 घंटे)	02 से 04 महीने
आरपीएल प्रशिक्षण	(32 से 80 घंटे)	01 महीने में
ईडीपी ट्रेनिंग	(80 घंटे)	10 से 15 दिनों में
RPL आधारित ट्रेनिंग	(80 घंटे)	10 से 15 दिनों में

झ. प्रशिक्षणदायी संस्थाए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार कैटैगरी-I ट्रेड हेतु 49 रूपये प्रति घण्टा, कैटैगरी-II ट्रेड हेतु 42 रूपये प्रति घण्टा एवं कैटैगरी-III ट्रेड हेतु 35.10 रूपये प्रति घण्टा के अनुसार सभी आर्हताओं को पूर्ण करने पर नियमानुसार प्रशिक्षण का भुगतान हेतु पात्र होंगी तथा केन्द्रीय सरकारी दरों के रिवीजन होने पर प्रशिक्षण की दर पुनर्निधारित करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक अनुगम में निहित होगा।

ञ. सभी प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षण का मूल्यांकन व प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया सम्बन्धित प्रशिक्षणदायी संस्था की होगी एवं मूल्यांकन का कार्य सेक्टर स्किल काउंसिल अथवा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है।

ट. प्रशिक्षणदायी संस्था की जिम्मेदारी होगी की लाभार्थी को प्लेसमेन्ट दिलाना या इकाई स्थापित करने में सहायता प्रदान करना। बैच के 70 प्रतिशत प्रशिक्षण लेने वाले लाभार्थियों को प्लेसमेंट/स्थापित इकाई के माध्यम से रोज़गार में जोड़ा जाना प्रशिक्षणदायी संस्था को आश्वस्त करना होगा।

उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० मुख्यालय लखनऊ

ठ. प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण करने के साथ ही प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति आदि के मिलान उपरान्त जिला प्रबन्धक/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) के समक्ष बिल भुगतान हेतु उत्तरदायी होगी। प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा समय से बिल प्रस्तुत न करने, गलत बिल प्रस्तुत करने आदि के कारणों से योजना में विलम्ब होने की दशा में भुगतान में कटौती/कार्यादेश निरस्त करने का अधिकार जिला प्रबन्धक/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) की संस्तुति पत्र प्राप्त होने पर प्रबन्ध निदेशक में निहित होगा।

ड. प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा बिल प्रस्तुत करने हेतु निम्नांकित चरण होगे।

क्र0 सं0	किश्त	धनराशि प्रतिशत	विवरण
01	प्रथम	50 %	लाभार्थियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड़ होने तथा बैच स्वीकृति पर।
02	द्वितीय	30 %	प्रशिक्षणार्थी का 75% उपस्थिति के साथ मूल्यांकन में पास करते हुए प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर।
03	तृतीय	20 %	परियोजना स्थापित होने पर अथवा लाभार्थी को सेवायोजित करने के 06 माह बाद सत्यापन के उपरांत।

- ट्रेनिंग पार्टनर को भुगतान उपरोक्त तालिका के आधार पर किया जायेगा।
- किस्तों के अनुरूप भुगतान हेतु पोर्टल पर/पत्रावली के माध्यम से फारवर्डिंग जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) द्वारा मुख्यालय को प्रेषित कर प्रक्षिक्षण के भुगतान हेतु संस्तुति की जाएगी।
- तत्क्रम में राज्य SNA से/ तत्समय प्रचलित भुगतान व्यवस्था से धनराशि का हस्तांरण सीधे ट्रेनिंग पार्टनर्स को किया जायेगा।
- भुगतान होने पर ट्रेनिंग पार्टनर्स द्वारा उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र 12-C पर जिला समाज कल्याण अधिकार (विकास) को प्रस्तुत किया जायेगा जिसे अपने प्रतिहस्ताक्षर से राज्य स्तर को प्रस्तुत की जायेगी।
- बैच में ड्राप आउट होने वाले/प्रशिक्षण पूर्ण न करने वाले अभ्यार्थियों पर व्यय किये गए प्रथम किस्त का भुगतान उस बैच के प्रशिक्षण पर होने वाले कुल व्यय की धनराशि में समाकेलित की जायेगी।

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 मुख्यालय लखनऊ

- एसेसमेंट का पैसा वर्तमान में ट्रेनिंग पार्टनर्स द्वारा वहन किया जायेगा। एक से अधिक एसेसमेंट होने पर भी वहन ट्रेनिंग पार्टनर्स द्वारा किया जायेगा। भविष्य में यदि भारत सरकार द्वारा धनराशि अनुमोदित की जाती है तो इसकी सूचना पृथक से दी जायेगी।

10. **योजना के वित्त-पोषण के सम्बन्ध में आवंटित कार्यः-**

प्री-स्क्रूटनी समितिः-

क. पात्र लाभार्थियों का समूह व क्लस्टर के रूप में चयन करना।

ख. बैंक ऋण, आधार सत्यापन, बैंक सत्यापन करना सुनिश्चित करना।

ग. प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनल करना, जिसमें निम्नलिखित आगणन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगाः-

1. कुल परियोजना लागत।
2. लाभार्थी का अंशदान धनराशि (05 प्रतिशत)।
3. पी0एम0-अजय अनुदान की धनराशि।
4. प्रशिक्षण की धनराशि।
5. सी0जी0टी0एम0एस0ई0 कवर फीस (लाभार्थी द्वारा वहन किया जाना)।

11. **बैंकों के स्तर पर कार्यः-**

क. प्री-स्क्रूटनी समिति द्वारा स्वीकृत तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अग्रसारित प्रोजेक्ट को जॉचोंपरान्त स्वीकृति पत्र प्रदान करना तथा पोर्टल पर बैंकों के प्रोसेसिंग हेतु अपलोड करना।

ख. अपलोड कुल लागत के अनुसार लाभार्थी द्वारा चयनित वेण्डर को ई-रूपी/आर0टी0जी0एस0 आदि के माध्यम से सामान क्रय हेतु धनराशि बैंकों द्वारा वेंडर्स को निर्गत करना तथा इकाई स्थापित होने के उपरांत जिला प्रबन्धक तथा बैंक प्रतिनिधि के संयुक्त हस्ताक्षर से अनुदान के डिमांड हेतु सूचना मुख्यालय को प्रेषित करना।

ग. जनपद द्वारा मुख्यालय से अनुदान को एस0एन0ए0 के माध्यम से बैंक के सब्सिडी रिजर्व फण्ड (एस0आर0एफ0) में 18 माह तक रखना तथा उसको लाभार्थी के ऋण खाते से जोड़ कर योजना से लाभान्वित करना व प्रत्येक 06 माह में इकाई की विजिट-रिपोर्ट उपलब्ध कराना।

घ. 18 माह के उपरान्त एस0आर0एफ0 में पड़ी अनुदान की धनराशि को ऋण खाते में डालकर लाभार्थी को लाभान्वित करते हुए रिकांसिलेशन रिपोर्ट मुख्यालय प्रेषित करना।

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 मुख्यालय लखनऊ

ङ. समूह/लाभार्थी द्वारा प्रथम छः माही समीक्षा में इकाई में कार्य न किये जाने की स्थिति में 01 माह का अवसर देने के उपरान्त भी कार्य न करने की दशा में अनुदान राशि जनपद को वापस कर देना।

च. लाभार्थी को सी0जी0टी0एम0एस0ई0 में कवर करना तथा उपरोक्त परिस्थिति व ऋण डिफाल्ट की स्थिति में सी0जी0टी0एम0एस0ई0 में धनराशि क्लेम कर ऋण समाप्त करना ।

छ. योजनान्तर्गत विभिन्न बैंको द्वारा प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त होने से 05 दिवसों में कृत कार्यवाही की जायेगी। ऋण आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जाने की दशा में सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक द्वारा औचित्यपूर्ण कारण सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) को पत्रावली/पोर्टल पर मूलरूप में वापस की जायेगी । बैंको से प्राप्त समस्त अस्वीकृत आवेदन पत्रों को जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) द्वारा जनपद स्तरीय पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष पुनः विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत करेगा ।

ज. बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऋण वितरण की कार्यवाही से पूर्व लाभार्थी द्वारा बैंक में प्रस्तुत किया गया कोटेशन के सापेक्ष वेंडर ई-रूपी प्लेटफार्म पर एवं जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा ।

झ. पशुपालन आधारित परियोजनाओं में पशुओं के क्रय के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या-**'ज'** की आर्हता से मुक्त रखा जायेगा।

ञ. पशुपालन आधारित परियोजनाओं में बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् लाभार्थी द्वारा 15 दिवस के भीतर पशुओं का क्रय कर पशु चिकित्साधिकारी से टैग लगवाकर प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा ।

ट. परियोजना का मूल्यांकन एवं स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) व सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धक, सहायक योजना प्रबन्धक/ सहायक विकास अधिकारी की संयुक्त आख्या के उपरांत ही बैंक के सब्सिडी रिजर्व फंड में रखी अनुदान की धनराशि सम्बन्धित लाभार्थी/ समूह के ऋण खाते में हस्तान्तरित की जायेगी या 18 माह तक लाभार्थी द्वारा ससमय ऋण चुकाने पर स्वतः हस्तानांतरित हो जाएगी, जो भी लागू हो।

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 मुख्यालय लखनऊ

12. **जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के कार्यः-**

क. अनुदान की धनराशि बैंक भेजने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रारूप प्रपत्र-12 'सी' पर उपभोग प्रमाण भेजना।

ख. प्रशिक्षण हेतु धनराशि निर्गत किये जाने सम्बन्धित संस्तुति करना तथा मुख्यालय द्वारा ट्रेनिंग पार्टनर्स को धनराशि प्रेषण के पश्चात प्रपत्र-12 सी पर स्वहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना।

ग. अजय-उद्यमी ऐप व कार्यालय स्तर पर लाभार्थियों की हैंड-होल्डिंग करना।

घ. प्रशासनिक मद ग्रान्ट-इन-एड की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र मुख्यालय प्रेषण करना।

ङ. योजना के सुचारू संचालन हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करना।

च. प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा समय-समय पर योजना से सम्बन्धित सौपे गये अन्य कार्य।

13. **अनुसूचित जाति की महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिये विशेष प्रावधानः-**

क. योजनान्तर्गत कुल अनुदान का 15 प्रतिशत विशेष रूप से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आय सृजक आर्थिक विकास योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु उपयोग किया जायेगा।

ख. महिलाओं के आर्थिक विकास को आवश्यक प्रोत्साहन देने के लिये कौशल विकास कार्यक्रमों में कम से कम 30 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

14. **योजना का क्रियान्वयनः-**

ऐसी परियोजनायें जो निरन्तर आय अथवा सामाजिक उन्नति का सृजन करने के लिये एक सम्पूर्ण इकोसिस्टम बनाती है, केवल उनको ही वित्त पोषित किया जायेगा। जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं और पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर से परियोजना का निर्माण किया गया है। इस घटक/योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत परियोजनायें स्थापित करायी जा सकती है, जिनका विवरण निम्नवत हैः-

I. बुटीक व्यवसाय आधारित क्लस्टर।

II. ब्यूटी पार्लर व्यवसाय आधारित क्लस्टर।

III. क्लस्टर आधारित सोलर पैनल इन्स्टलैशन टेक्नीशियन।

IV. लाजिस्टिक वाहन चालक क्लस्टर आधारित प्रोजेक्ट।

V. कीआस्क/किराना दुकान/जनरल स्टोर क्लस्टर बेस्ड समूह आधारित प्रोजेक्ट।

VI. सर्विस क्लस्टर आधारित फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर।

उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० मुख्यालय लखनऊ

VII. आटो रिक्शा/ई0 रिक्शा चालक सर्विस क्लस्टर बेस्ट प्रोजेक्ट।

VIII. समूह आधारित मुर्गी पालन व्यवसाय।

IX. समूह आधारित डेयरी एवं वर्मी कम्पोस्टिंग व्यवसाय।

X. समूह आधारित बकरी पालन व्यवसाय।

XI. क्लस्टर आधारित समूह में निर्माण कार्य करने हेतु मल्टी-स्किल्ड रिसोर्स बनाने हेतु।

XII. महिला गृह उद्योग/स्वतः रोजगार आधारित क्लस्टर बेस्ड समूह आधारित प्रोजेक्ट।

XIII. 02 व्हीलर/03 व्हीलर मैकेनिक सर्विस का क्लस्टर बेस्ड समूह आधारित प्रोजेक्ट।

XIV. क्लस्टर आधारित आई0टी0 सपोर्ट/हार्डवेयर का कार्य करने हेतु।

XV. क्लस्टर आधारित माडुलर फर्नीचर/बढ़ई का कार्य करने हेतु।

XVI. क्लस्टर आधारित जन सुविधा केन्द्र का कार्य करने हेतु।

नोट: उपरोक्त के अतिरिक्त भविष्य में जुड़ने वाले जनपद आधारित प्रोजेक्ट एवं राज्य आधारित प्रोजेक्ट इसी SOP का अनुपालन करेंगें।

- उपरोक्त प्रक्षेत्रो के सम्बन्ध में विस्तृत कार्ययोजना (संलग्नक-1) में दी गई है।
- इस कार्ययोजना में समय-2 पर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु परिवर्तन का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, अनुगम में निहित होगा।
- कालांतर में अन्य नयी परियोजनाए जोड़ी जा सकती है। जिस पर उपरोक्त सभी नियम प्रभावी होगें।

15. रणनीति:-

निगम द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के ग्रान्ट-इन-घटक के अन्तर्गत स्थापित कराये गये प्रोजेक्ट/परियोजना हेतु निम्न रणनीति क्रियान्वित की जायेगी।

क. ''अजय-उद्यमी''-

स्थापित इकाई को सफल कलस्टर व समूह में बनाने हेतु प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी0एम0-अजय) के ''अजय-उद्यमी'' मोबाइल ऐप कम कम्प्यूटर साफटवेयर के माध्यम से फारवर्ड लिंकेज आदि की कार्यवाही की जायेगी।

मुख्यालय लखनऊ

ख. ट्रेनिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेरः-

ट्रेनिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेर के माध्यम से प्रशिक्षण सम्बंधित सभी कार्य जैसे कि प्रशिक्षण हेतु लाभार्थी रजिस्ट्रेशन, बैच बनाना, ट्रेनिंग सेंटर/ ट्रेनर्स सम्बंधित स्वीकृतियां, इनवॉइस जनरेशन, सीसीटीवी फीड, उपस्तिथि, असेसमेंट रिपोर्ट आदि कार्य संचालित किये जायेंगे।

ग. मार्केटिंक लिंकेजः-

लाभान्वित कराये गये कलस्टर/समूह द्वारा निर्मित उत्पाद के मार्केट में सप्लाई एवं बाजार से जोड़ने की व्यवस्था आदि हेतु विभिन्न विक्रेता एजेन्सियों/प्लेटफार्म यथा-अमेजॉन, फिलपकार्ट आदि से समन्वय स्थापित कराते हुये अगले तीन वर्षो तक लाभार्थियों को निगम द्वारा सहयोग प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जाए, इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने का प्राविधान भी किया गया है।

घ. क्रेडिट प्लानः-

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के ग्रान्ट इन घटक के अन्तर्गत स्थापित कराये गये प्रोजेक्ट/परियोजना हेतु गाइड लाइन में दी गयी व्यवस्थानुसार बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत/व्यवहारिक रूप से कराने के प्रयास किये जायेगें। जिसमें जिला प्रशासन के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) लीड बैंक मैनेजर से सम्पर्क स्थापित कर योजना को त्वरित गति देने का हर संभव प्रयास करेगें।

16. <u>योजना का पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवणः-</u>

क. उक्त कार्य हेतु प्रदेश स्तर पर योजनाओं के आरम्भ से अन्त तक यथा (बैकवर्ड/फारवर्ड लिंकेज) की व्यवस्था हेतु विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन कर सफलतापूर्वक संचालन का प्रभावी अनुश्रवण किया जायेगा।

ख. लाभान्वित लाभार्थियों की सूची सम्बन्धित मा0 विधायकों/मा0 सांसदों एवं अन्य प्रतिनिधियों को प्रेषित की जायेगी।

ग. लाभार्थियों की सूची मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से शासन/निगम मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

घ. लाभान्वित व्यक्तियों की सूची भारत सरकार के पोर्टल पर भी अपलोड की जायेगी, उक्त परियोजनाओं का 18 माह तक जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) कार्यालय द्वारा हैण्ड होल्डिंग की जायेगी।

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0
मुख्यालय
लखनऊ

ङ. योजना का उद्देश्य सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा नामित केन्द्रीय टीमों द्वारा भौतिक सत्यापन राज्य स्तर से प्रबन्ध निदेशक अनुगम या उनके द्वारा नामित योजना अधिकारी या अन्य अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर स्थलीय सत्यापन किया जायेगा।

च. जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के दिशा निर्देश में साथ ही जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक/सहायक योजना प्रबन्धक द्वारा नगर क्षेत्र में एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी(स0क0) द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रोजेक्ट का सत्यापन किया जायेगा एवं सत्यापन आख्या निगम मुख्यालय लखनऊ प्रेषित की जायेगी।

छ. जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक अनुगम द्वारा परियोजना के वित्त पोषण के उपरान्त कम से कम 18 महीने की अवधि तक लाभार्थियों से परियोजना संचालन हेतु पर्यवेक्षण, लाभार्थी सलाह, मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण का कार्य कराया जायें, जिससे वित्त पोषित परियोजनायें अधिक लाभकारी/आयसृजक हो सकें।

17. जनपद स्तरीय पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण सम्बन्धी समितिः-

जनपद स्तरीय समिति द्वारा योजना का पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पूर्ण कराये जाने हेतु **उक्त समिति के सदस्य निम्नवत् होंगेः-**

i.	मुख्य विकास अधिकारी	**अध्यक्ष**
ii.	उपायुक्त स्वतः रोजगार	सदस्य
iii.	अग्रणी जिला प्रबन्धक	सदस्य
iv.	जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)	**सदस्य सचिव**
v.	सहायक प्रबन्धक/सहायक परियोजना प्रबन्धक	सदस्य
vi.	वरिष्ठ ग्राम/सहायक विकास अधिकारी(स0क0)	सदस्य

नोट- मुख्य विकास अधिकारी उक्त गठित समिति में चाहें तो आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों/अनुसूचित जाति के सामाजिक कार्यकर्ता को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित कर सकते है।

18. विविधः-

क. जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/सहायक प्रबन्धक/सहायक परियोजना प्रबन्धक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा परियोजना/लाभार्थियों की योजनाओं का भौतिक सत्यापन कर लाभार्थियों की पत्रावली में यह टिप्पणी अंकित की जायेगी कि उनके

द्वारा परियोजना/पात्र लाभार्थियों का चयन/भौतिक सत्यापन स्वयं किया गया है तथा योजना संचालित पाई गई।

ख. यदि किसी समूह द्वारा दी गयी धनराशि का उपभोग सम्बन्धित सही योजना के लिये नहीं की गई है, तो उसे दी गयी योजना को प्रारम्भ करने हेतु 02 बार स्मरण कराया जायेगा और योजना हेतु धनराशि स्वीकृत होने के तीन माह बाद भी लाभार्थी द्वारा योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध धनराशि की वापसी हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

ग. लाभार्थियों को दी जाने वाली योजनाओं की गुणवत्ता तथा योजनाओं का भौतिक सत्यापन करने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) की होगी।

19. परिसम्पत्तियों का क्रय एवं वित्त पोषणः-

चयनित व्यक्तियों द्वारा निर्धारित बैंकों में से किसी भी बैंक से अपनी स्वेच्छानुसार वित्त पोषित करा सकता है। परिसम्पत्तियों के क्रय के सम्बन्ध में नाबार्ड एवं अन्य शासकीय संस्थाओं द्वारा समय-समय पर परियोजनाओं के सम्बन्ध में जारी निर्देशों/प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

20. खातों का संचालन, रख रखाव एवं सम्प्रेक्षणः-

क. जनपद द्वारा प्रत्येक प्रोजेक्ट के समस्त लेखों का विवरण कलस्टर/समूह के समस्त लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि एवं प्रशिक्षण, अवसंरचना आदि के मद में दी गयी धनराशि का पृथक-पृथक ब्यौरा वही खाता/लेजर बनाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

ख. निगम के समस्त लेखाभिलेखों का रख-रखाव कम्पनी अधिनियम के प्राविधानानुसार किया जायेगा।

ग. समूह/क्लस्टर के प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत अभिलेख यथा-आधार कार्ड, आय, जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र/पता पिता/पति का नाम एवं मोबाइल नम्बर आदि का विवरण रखा जायेगा तथा प्रचलित नियमों के अलोक में निर्धारित समय-सीमा तक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जिला प्रबन्धक की होगी।

घ. सभी आवश्यक दस्तावेंजो को हार्ड-ड्राइव में समय-समय पर बैक-अप बनाकर रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 मुख्यालय लखनऊ

ङ. उक्त योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर पीएम-अजय अनुदान पंजिका तैयार किया जाना अनिवार्य होगा जिसमें लाभार्थीवार तथा परियोजना विवरण सहित का अंकन सहायक लेखाकार द्वारा किया जायेगा। जिसे सहायक प्रबन्धक एवं जिला प्रबन्धक द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

21. **प्रगति प्रेषण:-**

उक्त वर्णित एस0ओ0पी0 में उल्लिखित प्राविधानानुसार योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करते हुए निर्धारित मानकों के अनुरूप आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति अर्जित करते हुए मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निगम मुख्यालय प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी। इस रिपोर्ट के साथ ही निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। योजना के संचालन सम्बन्धित प्रारूप संलग्न है।

योजना के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु निर्धारित उक्त एस0ओ0पी0 में निहित प्राविधानों में आवश्यकतानुसार संशोधन हेतु प्रबन्ध निदेशक अनुगम अधिकृत होगें।

संलग्नक:-

1. राज्य स्तरीय 16 प्रोजेक्ट्स के विवरण ।
2. प्रपत्र-01-ग्राण्ट इन-एड घटक हेतु आवेदन पत्र।
3. प्रपत्र- 02- समूह गठन प्रपत्र।
4. प्रपत्र- 03- क्लस्टर गठन सम्बन्धित प्रपत्र।
5. प्रपत्र- 04- प्री-स्कूटनी सत्यापन प्रारूप।
6. प्रपत्र- 05-परियोजना स्थापना निरीक्षण रिपार्ट प्रारूप।
7. प्रपत्र- 06- अनुबंध प्रपत्र।

***********$$$$$***********

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 मुख्यालय लखनऊ

ग्रांट-इन-एड योजना के अंतर्गत प्रदेश स्तर पे अनुमोदित 16 प्रोजेक्ट्स का संक्षिप्त विवरण ।

UPSCDC.IN

उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० मुख्यालय लखनऊ

1. बुटीक व्यवसाय सर्विस आधारित क्लस्टर बेस्ड स्टेट प्रोजेक्ट।

कौशल विकास:-
- Women's Tailor(NARQ40033),
- General EDP(RSETI/403),

ग्राण्ट-इन-एड (अनुमानित):-
- सिलाई मशीन (इंडस्ट्रियल): ₹ 30,000/-
- इन्टरलॉक मशीन: ₹ 20,000/-
- प्रेसिंग आयरन: ₹ 5,000/-
- कटिंग टेबल और अन्य उपकरण: ₹ 15,000/-
- शुरुआती कपड़े का स्टॉक: ₹ 30,000/-
- बुटीक के लिए जरूरी सामान (मैनिकिन, शेल्फ, दर्पण आदि): ₹ 20,000/-
- परियोजना के ग्राण्ट इन एड घटक की प्रति व्यक्ति लागत= ₹ 1,20,000/

नोट- जनपद एवं लाभार्थी की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित प्रोजेक्ट में अनुमानित लागत परिवतर्नीय है।

नियम :-
1. अनुसूचित जाति की केवल महिला लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
2. जनपद में क्लस्टर लेवल पर क्रियान्वयन होगा।
3. लाभार्थी की आवश्यकतानुसार जनपद स्तर पर प्री-स्क्रूटनी कमेटी की सहमति उपरान्त अन्य आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा।
4. लाभार्थी कोई भी बैंक से ऋण लेने के लिए स्वतन्त्र होगा।
5. डिजिटल लेन-देन की आदत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकतर लेन-देन खाते के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।
6. सामान क्रय करने हेतु भुगतान सीधा वेंडर के खाते में किया जायेगा।
7. सभी सामान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत न्यूनतम मापदण्ड जैसे-ISI रेटिंग, FSSAI रजिस्ट्रेशन, स्थानीय व्यवसाय करने हेतु रजिस्ट्रेशन(आदि जो भी लागू हो) के उपरांत क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. पीएम-अजय योजना से वित्तपोषित है यह टैग लगाना अनिवार्य होगा।

उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० मुख्यालय लखनऊ

2. ब्यूटी पार्लर व्यवसाय आधारित क्लस्टर बेस्ड स्टेट प्रोजेक्ट।

कौशल विकास:-

- Beauty Therapist(BWS/Q0102),
- Beauty Parlor Management(NARQ40007),
- General EDP(RSETI/403),
- Advanced Beauty Parlour(RSETI/607),

ग्राण्ट-इन-एड (अनुमानित):-

- विभिन्न प्रकार की फेशियल किट: ₹ 25,000/-
- मेकअप किट (उच्च गुणवत्ता वाले ब्रांड): ₹ 30,000/-
- हेयर स्टाइलिंग उपकरण (हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, कर्लिंग आयरन): ₹ 20,000/-
- मैनीक्योर और पेडीक्योर किट, वैक्सिंग किट और अन्य उपकरण: ₹ 25,000/-
- स्टेरलाइज़ेशन उपकरण: ₹ 5,000/-
- फर्नीचर (ब्यूटी बेड, कुर्सी, शेल्फ): ₹ 15,000/-
- विन्डो AC: 30,000/-
- परियोजना के ग्राण्ट इन एड घटक की प्रति व्यक्ति लागत = ₹ 1,50,000/-

नोट- जनपद एवं लाभार्थी की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित प्रोजेक्ट में अनुमानित लागत परिवतर्नीय है।

नियम :-

1. अनुसूचित जाति की केवल महिला लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
2. जनपद में क्लस्टर लेवल पर क्रियान्वयन होगा।
3. लाभार्थी की आवश्यकतानुसार जनपद स्तर पर प्री-स्क्रूटनी कमेटी की सहमति उपरान्त अन्य आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा।
4. लाभार्थी कोई भी बैंक से ऋण लेने के लिए स्वतन्त्र होगा।
5. डिजिटल लेन-देन की आदत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकतर लेन-देन खाते के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।
6. सामान क्रय करने हेतु भुगतान सीधा वेंडर के खाते में किया जायेगा।
7. सभी सामान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत न्यूनतम मापदण्ड जैसे-ISI रेटिंग, FSSAI रजिस्ट्रेशन, स्थानीय व्यवसाय करने हेतु रजिस्ट्रेशन(आदि जो भी लागू हो) के उपरांत क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. पीएम-अजय योजना से वित्तपोषित है यह टैग लगाना अनिवार्य होगा।

उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० मुख्यालय लखनऊ

3. सर्विस क्लस्टर आधारित सोलर पैनल इन्स्टलैशन टेक्निशन बनाने हेतु स्टेट बेस्ड प्रोजेक्ट।

कौशल विकास:-

- Solar PV Installer (Suryamitra)(SGJ/Q0101),

ग्राण्ट-इन-एड (अनुमानित):-

- सोलर पैनल इंस्टॉलेशन किट(मल्टीमीटर, वायर कटर, क्रिम्पिंग टूल, सक्शन कप आदि):₹55,000/-
- पोर्टेबल सोलर पैनल क्लीनिंग किट: ₹ 10,000/-
- डिजिटल लेवलिंग उपकरण: ₹ 15,000/-
- वहन के लिए बैग/बॉक्स: ₹ 10,000/-
- सुरक्षा उपकरण (हैंड ग्लव्स, सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट): ₹ 10,000/-
- परियोजना के ग्राण्ट इन एड घटक की प्रति व्यक्ति लागत = ₹ 1,00,000/-

नोट- जनपद एवं लाभार्थी की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित प्रोजेक्ट में अनुमानित लागत परिवतर्नीय है।

नियम :-

1. अनुसूचित जाति के सभी लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
2. जनपद में क्लस्टर लेवल पर क्रियान्वयन होगा।
3. लाभार्थी की आवश्यकतानुसार जनपद स्तर पर प्री-स्क्रूटनी कमेटी की सहमति उपरान्त अन्य आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा।
4. लाभार्थी कोई भी बैंक से ऋण लेने के लिए स्वतन्त्र होगा।
5. डिजिटल लेन-देन की आदत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकतर लेन-देन खाते के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।
6. सामान क्रय करने हेतु भुगतान सीधा वेंडर के खाते में किया जायेगा।
7. सभी सामान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत न्यूनतम मापदण्ड जैसे-ISI रेटिंग, FSSAI रजिस्ट्रेशन, स्थानीय व्यवसाय करने हेतु रजिस्ट्रेशन(आदि जो भी लागू हो) के उपरांत क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. UPNEDA में रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करना होगा।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम उ०प्र० मुख्यालय लखनऊ

4. लाजिस्टिक वाहन चालक क्लस्टर बेस्ड समूह आधारित हाइब्रिड प्रोजेक्ट।

कौशल विकास:-

- Light Motor Vehicle (LMV) Driving(RSETI/207),
- General EDP(RSETI/403),

ग्राण्ट-इन-एड (अनुमानित):-

- प्रशिक्षण के बाद लाइसेंस प्राप्ति के लिए लागत: ₹ 5,000/-
- एक छोटा मालवाहक वाहन (पिकअप ट्रक या छोटा ट्रक): ₹ 6,00,000/- (यह वाहन की स्थिति और प्रकार पर निर्भर करेगा। यह कीमत एक अनुमानित कीमत है और वास्तविक लागत अलग हो सकती है।)
- मोबाइल फोन और जीपीएस डिवाइस: ₹ 10,000/-
- प्रारंभिक ईंधन एवं रखरखाव लागत: ₹ 15,000/-
- परियोजना की कुल अनुमानित लागत = ₹ 6,30,000/-

नोट- जनपद एवं लाभार्थी की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित प्रोजेक्ट में अनुमानित लागत परिवतर्नीय है ।

नियम :-

1. अनुसूचित जाति के सभी लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
2. जनपद में क्लस्टर लेवल पर क्रियान्वयन होगा।
3. लाभार्थी की आवश्यकतानुसार जनपद स्तर पर प्री-स्क्रूटनी कमेटी की सहमति उपरान्त अन्य आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा।
4. लाभार्थी कोई भी बैंक से ऋण लेने के लिए स्वतन्त्र होगा।
5. डिजिटल लेन-देन की आदत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकतर लेन-देन खाते के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।
6. सामान क्रय करने हेतु भुगतान सीधा वेंडर के खाते में किया जायेगा।
7. सभी सामान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत न्यूनतम मापदण्ड जैसे-ISI रेटिंग, स्थानीय व्यवसाय करने हेतु रजिस्ट्रेशन(आदि जो भी लागू हो) के उपरांत क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. पीएम-अजय योजना से वित्तपोषित है यह टैग लगाना अनिवार्य होगा।
9. कार्मिशयल लाइसेंस होना अनिवार्य है।
10. बीएस-6 के वाहन या वर्तमान में सबसे आधुनिक Certification के तहत मार्केट में उपलब्ध इलेक्ट्रिक वाहन जैसे- टाटा, महिन्द्रा, बजाज आदि जिनकी न्यूनतम वारंटी 03 वर्ष या 1,00,000 किलोमीटर हो।
11. सभी वाहन N1 Category के होगें (N1- जहाँ भार ढोने की क्षमता 3.5 टन होगी)
12. वाहन में प्राथमिक उपचार किट एवं अग्निशामक यंत्र रखना अनिवार्य होगे।

5. कीऑस्क/किराना दुकान/जनरल स्टोर क्लस्टर बेस्ड समूह आधारित हाइब्रिड प्रोजेक्ट।

कौशल विकास:-

- Store Keeper (Petroleum Products)(HYC/Q3501),
- Individual Sales Professional(RAS/Q0201),
- Retail Sales Specialist cum Cashier(RAS/Q0109),

ग्राण्ट-इन-एड (अनुमानित):-

- शेल्फिंग और डिस्प्ले यूनिट: ₹ 30,000/-
- रेफ्रिजरेटर (छोटा): ₹ 25,000/-
- पॉइंट ऑफ़ सेल (POS) मशीन (डिजिटल पेमेंट के लिए): ₹ 15,000/-
- कंप्यूटर और प्रिंटर (इनवॉइस प्रिंटिंग के लिए): ₹ 50,000/-
- इंवेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लाइसेंस: ₹ 5,000/-
- सुरुआती सामन: ₹ 75,000/-
- परियोजना की प्रति लाभार्थी कुल अनुमानित लागत = ₹ 2,00,000/-

नोट- जनपद एवं लाभार्थी की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित प्रोजेक्ट में अनुमानित लागत परिवतर्नीय है।

नियम :-

1. अनुसूचित जाति के सभी लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
2. जनपद में क्लस्टर लेवल पर क्रियान्वयन होगा।
3. लाभार्थी की आवश्यकतानुसार जनपद स्तर पर प्री-स्क्रूटनी कमेटी की सहमति उपरान्त अन्य आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा।
4. लाभार्थी कोई भी बैंक से ऋण लेने के लिए स्वतन्त्र होगा।
5. डिजिटल लेन-देन की आदत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकतर लेन-देन खाते के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।
6. सामान क्रय करने हेतु भुगतान सीधा वेंडर के खाते में किया जायेगा।
7. सभी सामान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत न्यूनतम मापदण्ड जैसे-ISI रेटिंग, FSSAI रजिस्ट्रेशन, स्थानीय व्यवसाय करने हेतु रजिस्ट्रेशन(आदि जो भी लागू हो) के उपरांत क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. पीएम-अजय योजना से वित्तपोषित है यह टैग लगाना अनिवार्य होगा।
9. स्टोर खोलने हेतु व्यवसाय स्थल सुनिश्चित करना लाभार्थी का काम होगा।
10. स्टोर में जोखिम भरी वस्तुएँ (hazardous Items), मंदिरा, तम्बाकू तथा प्रदेश शासन द्वारा अन्य प्रतिबन्धित सामान नहीं रखे जा सकेंगे।

मुख्यालय लखनऊ

6. सर्विस क्लस्टर आधारित फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से आजीविका कमाने हेतु स्टेट बेस्ड प्रोजेक्ट।

कौशल विकास:-

- Entrepreneurial Skills(MEP/Q5103),
- Basic Photography & Videography(RSETI/216),
- Advanced Digital Photography(RSETI/601),
- Photo Editing & Digital Album Making(RSETI/612),

ग्राण्ट-इन-एड (अनुमानित):-

- DSLR कैमरा (उच्च गुणवत्ता वाला): ₹ 80,000/-
- लेन्स किट (विभिन्न प्रकार के शॉट्स के लिए): ₹ 40,000/-
- वीडियो लाइटिंग किट (सॉफ्टबॉक्स, स्टैंड, आदि): ₹ 30,000/-
- ट्राइपॉड और अन्य एक्सेसरीज: ₹ 10,000/-
- वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस (Adobe Premiere Pro/Final Cut Pro): ₹ 5,000/-
- ड्रोन (वैकल्पिक, उच्च गुणवत्ता वाले शॉट्स के लिए): ₹ 75,000/-
- परियोजना की कुल अनुमानित लागत = ₹ 240,000/-

नोट- जनपद एवं लाभार्थी की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित प्रोजेक्ट में अनुमानित लागत परिवतर्नीय है।

नियम :-

1. अनुसूचित जाति के सभी लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
2. जनपद में क्लस्टर लेवल पर क्रियान्वयन होगा।
3. लाभार्थी की आवश्यकतानुसार जनपद स्तर पर प्री-स्क्रूटनी कमेटी की सहमति उपरान्त अन्य आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा।
4. लाभार्थी कोई भी बैंक से ऋण लेने के लिए स्वतन्त्र होगा।
5. डिजिटल लेन-देन की आदत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकतर लेन-देन खाते के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।
6. सामान क्रय करने हेतु भुगतान सीधा वेंडर के खाते में किया जायेगा।
7. सभी सामान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत न्यूनतम मापदण्ड जैसे-ISI रेटिंग, FSSAI रजिस्ट्रेशन, स्थानीय व्यवसाय करने हेतु रजिस्ट्रेशन(आदि जो भी लागू हो) के उपरांत क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. पीएम-अजय योजना से वित्तपोषित है यह टैग लगाना अनिवार्य होगा।
9. डिजिटल फोटोग्राफी के सामान क्रय किये जायेंगे।
10. ड्रोन वीडियोग्राफी के लिए DGCA मानक के अनुसार आने वाले ड्रोन कैमरे ही खरीदे जा सकेंगे।

7. ऑटो रिक्शा/ई० रिक्शा चालक सर्विस क्लस्टर बेस्ड प्रोजेक्ट।

कौशल विकास:-

- Light Motor Vehicle (LMV) Driving(RSETI/207),

ग्राण्ट-इन-एड (अनुमानित):-

- ई-रिक्शा / ऑटो रिक्शा (उच्च क्षमता वाला): ₹ 1,50,000/-
- बैटरी (अतिरिक्त): ₹ 30,000/-
- सुरक्षा उपकरण: ₹ 5,000/-
- पंजीकरण और परमिट शुल्क: ₹ 10,000/-
- शुरुआती मरम्मत और रखरखाव किट: ₹ 5,000/-
- परियोजना की कुल अनुमानित लागत = ₹ 2,00,000/-
- परियोजना के ग्राण्ट इन एड घटक की प्रति व्यक्ति लागत = ₹ 2,00,000/-

नोट- जनपद एवं लाभार्थी की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित प्रोजेक्ट में अनुमानित लागत परिवतर्नीय है।

नियम :-

1. अनुसूचित जाति के सभी लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
2. जनपद में क्लस्टर लेवल पर क्रियान्वयन होगा।
3. लाभार्थी की आवश्यकतानुसार जनपद स्तर पर प्री-स्क्रूटनी कमेटी की सहमति उपरान्त अन्य आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा।
4. लाभार्थी कोई भी बैंक से ऋण लेने के लिए स्वतन्त्र होगा।
5. डिजिटल लेन-देन की आदत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकतर लेन-देन खाते के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।
6. सामान क्रय करने हेतु भुगतान सीधा वेंडर के खाते में किया जायेगा।
7. सभी सामान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत न्यूनतम मापदण्ड जैसे-ISI रेटिंग, स्थानीय व्यवसाय करने हेतु रजिस्ट्रेशन(आदि जो भी लागू हो) के उपरांत क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. पीएम-अजय योजना से वित्तपोषित है यह टैग लगाना अनिवार्य होगा।
9. कार्मिशयल लाइसेंस होना अनिवार्य है।
10. सभी वाहन L5M 3 व्हीलर पैसेंजर कैरियर या समानांतर कैटैगरी के होगें।
11. वाहन में प्राथमिक उपचार किट एवं अग्निशामक यंत्र रखना अनिवार्य होगे।

उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० लखनऊ

8. समूह आधारित मुर्गी पालन हेतु राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट।

कौशल विकास:-

- Poultry(NARQ30027),

ग्राण्ट-इन-एड (अनुमानित):-

- 500 मुर्गी के लिए पिंजरे: ₹ 30,000/-
- दाना भंडारण के लिए टैंक: ₹ 10,000/-
- पानी के बर्तन और फीडर: ₹ 5,000/-
- शुरुआती मुर्गी (500): ₹ 75,000/-
- अन्य उपकरण (औजार, दवाइयाँ आदि): ₹ 10,000/-
- परियोजना के ग्राण्ट इन एड घटक की प्रति व्यक्ति लागत = ₹ 1,30,000/-

नोट- जनपद एवं लाभार्थी की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित प्रोजेक्ट में अनुमानित लागत परिवतर्नीय है।

नियम :-

1. अनुसूचित जाति की केवल महिला लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
2. जनपद में समूह लेवल पर क्रियान्वयन होगा।
3. लाभार्थी की आवश्यकतानुसार जनपद स्तर पर प्री-स्क्रूटनी कमेटी की सहमति उपरान्त अन्य आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा।
4. लाभार्थी कोई भी बैंक से ऋण लेने के लिए स्वतन्त्र होगा।
5. डिजिटल लेन-देन की आदत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकतर लेन-देन खाते के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।
6. सामान क्रय करने हेतु भुगतान सीधा वेंडर के खाते में किया जायेगा।
7. सभी सामान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत न्यूनतम मापदण्ड जैसे-ISI रेटिंग, FSSAI रजिस्ट्रेशन, स्थानीय व्यवसाय करने हेतु रजिस्ट्रेशन(आदि जो भी लागू हो) के उपरांत क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. पीएम-अजय योजना से वित्तपोषित है यह टैग लगाना अनिवार्य होगा।
9. NRLM के SHME समूह जो केवल महिला लाभार्थी के हो जिन्हें अभी तक लाभान्वित नहीं किया गया है को वरीयता दी जायेगी।
10. लाइव-स्टॉक का क्रय सम्बन्धित नियम NABARD उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग द्वारा जारी नियम के पालन में होगा।
11. लाइव-स्टॉक का बीमा करवाना अनिवार्य होगा।
12. एक वर्ष तक प्रत्येक तीन माह में पशुपालन विभाग में पंजीकृत पशु चिकित्सक की जाँच रिपोर्ट समाज कल्याण अधिकारी (विकास) को देना सुनिश्चित करना होगा।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० मुख्यालय लखनऊ

9. समूह आधारित डेरी एवं वर्मी कम्पोस्टिंग व्यवसाय हेतु राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट।

कौशल विकास:-

- Dairy Farming and Vermi Compost Making(NARQ30006),

ग्राण्ट-इन-एड (अनुमानित):-

1. उच्च क्षमता वाली दुधारू गाय (1 यूनिट): ₹ 1,00,000/- (प्रति गाय ₹ 1,00,000) (गाय साहीवाल अथवा गिर अथवा थारपारकर नस्ल के लिए रू 1,00,000 प्रति गाय तथा गंगातीरी गोवंश क्रय करने पर प्रति गोवंश रू 70,000 आंगणित किया जाएगा।)
2. वर्मीकम्पोस्टिंग यूनिट (2 यूनिट): ₹ 40,000/- (प्रति यूनिट ₹20,000) (अधिकतम व्यय)
3. दूध संग्रहण और भंडारण उपकरण
4. अन्य उपकरण (ट्रॉली, फावड़ा, पानी की बाल्टी, आदि)

नोट- जनपद एवं लाभार्थी की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित प्रोजेक्ट में अनुमानित लागत परिवतर्नीय है ।

योजना का उद्देश्य:-

1. प्रदेश में अनुसूचित जाति के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के नवयुवकों एवं महिलाओं को पशुपालन के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करते हुए रोजगार उपलब्ध कराना।
2. प्रदेश में स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की संख्या में वृद्धि करना तथा स्वदेशी गायों के नस्ल सुधार हेतु अभिप्रेरित करना।
3. प्रदेश में दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि कर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाये रखना।
4. प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में वृद्धि कर राष्ट्रीय औसत दुग्ध उपलब्धता के स्तर पर लाना।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० मुख्यालय लखनऊ

योजना का स्वरूप :

1. यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में चरणबद्ध रूप से लागू होगी। प्रथम चरण में 18 मण्डल मुख्यालय के जनपदों में लागू होगी।
2. स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों का क्रय अनिवार्य रूप से प्रदेश के बाहर से ही किया जायेगा।
3. मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों को वाह्य प्रदेश से क्रय कर लाने हेतु एक अनुमति पत्र चयनित लाभार्थी को निर्गत किया जाएगा, जिससे गायों के परिवहन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
4. क्रय की जाने वाली स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायें प्रथम अथवा द्वितीय ब्यांत की होनी चाहिए।
5. क्रय की जाने वाली गाय रोगमुक्त एवं स्वस्थ होनी चाहिए।
6. स्वदेशी उन्नत नस्ल के दुधारू गायों में गिर, साहीवाल, हरियाणा एवं थारपारकर गायें सम्मिलित होंगी।
7. क्रय की जाने वाली दुधारू गायों का दैनिक दुग्ध उत्पादन उस प्रजाति के मानक औसत दुग्ध उत्पादन के अनुसार होना चाहिए।
8. एक दुग्ध उत्पादक/पशुपालक न्यूनतम 01 गाय अथवा प्रोजेक्ट की धनराशि के अंतर्गत स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष 01 से अधिक गाय की एक पशुपालन इकाई (प्रोजेक्ट) स्थापित करने हेतु पात्र होगा।
9. क्रय की गयी समस्त गायों का 03 वर्षो का पशु बीमा एकमुश्त कराया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही क्रय किये जाने वाले स्थान/राज्य से पशुपालक के द्वारा इकाई स्थापना के स्थान तक गायों को लाये जाने हेतु ट्रांजिट बीमा भी कराया जाना अनिवार्य होगा।

अनुदान हेतु अनुमन्य घटक :

1. गाय के क्रय पर व्यय धनराशि।
2. गाय के परिवहन पर व्यय धनराशि।
3. पशु ट्रांजिट बीमा पर व्यय धनराशि।
4. 03 वर्षो हेतु पशु बीमा पर व्यय धनराशि ।
5. चारा काटने की मशीन (Chaff cutter machine) के क्रय पर व्यय धनराशि।
6. गायों के रख-रखाव हेतु शेड निर्माण पर व्यय धनराशि।
7. उपर्युक्त घटकों को सम्मिलित कर प्रति इकाई लागत का मूल्यांकन किया जायेगा।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० मुख्यालय लखनऊ

क्रय प्रक्रिया :

1. चयन पत्र प्राप्ति के बाद लाभार्थी द्वारा 02 माह के भीतर स्वदेशी उन्नत नस्ल की गिर, साहीवाल, हरियाणा अथवा थारपारकर गाय का क्रय किया जायेगा।
2. गायों की पहचान हेतु माइक्रोचिप्स/ईयर टैगिंग सिस्टम / पहचान की किसी भी मान्यता प्राप्त प्रणाली से ईयर टैगिंग होना अनिवार्य है।
3. पशु क्रय हेतु समस्त विधिक औपचारिकतायें एवं अभिलेख का रख रखाव लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

अनुदान वितरण की प्रक्रिया :

1. प्रथम चरण में चयनित लाभार्थी द्वारा बाह्य प्रदेशों से स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों को क्रय करने के उपरान्त अधिकतम 01 माह के भीतर अनुदान प्राप्त करने हेतु पुनः आवेदन किया जायेगा। आवेदन के साथ निम्न प्रपत्र उपलब्ध कराने होंगे :-
    - गाय क्रय से सम्बन्धित रसीद की प्रति।
    - ट्रांजिट बीमा से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति।
    - परिवहन व्यय रसीद की प्रति।
    - 03 वर्षो हेतु क्रियाशील पशु बीमा से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति।
    - चारा काटने की मशीन के क्रय से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति।
    - गायों के रख-रखाव हेतु शेड निर्माण पर व्यय से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति।
    - दुग्ध उत्पादक/पशुपालक लाभार्थी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
    - गायों की पहचान हेतु माइक्रोचिप्स/ईयर टैगिंग सिस्टम/पहचान की किसी भी मान्यता प्राप्त प्रणाली का प्रमाण-पत्र एवं पहचान संख्या।
    - सम्बन्धित विकास खण्ड के पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जिस पर गाय की प्रजाति का स्पष्ट उल्लेख भी किया गया हो।
    - इस आशय का नोटरी शपथ-पत्र कि योजनान्तर्गत स्थापित इकाई से सम्बन्धित परिसम्पति (गायों को सम्मिलित करते हुए) का रख-रखाव कम से कम अगले 03 वर्ष तक लाभार्थी द्वारा किया जायेगा। तीन वर्ष के पूर्व यदि परिसम्पति का विक्रय अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण किया जाता है, तो अनुदान की वसूली नियमानुसार डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा की जायेगी।
    - लाभार्थी के बैंक पासबुक की छायाप्रति/कैन्सिल चेक।

संलग्नक-

1. संलग्नक- 01
2. संलग्नक- 02

संलग्नक- 01

ग्राण्ट-इन-एड योजना अंतर्गत अनुदान धनराशि स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)

ग्राण्ट-इन-एड स्क्रूटनी समिति अध्यक्ष

जनपद--

उत्तर प्रदेश।

आवेदक का पासपोर्ट साइज का स्वहस्ताक्षरित रंगीन फोटो

1. लाभार्थी संख्या (चयन पत्र के अनुसार)..........
2. लाभार्थी का नाम..........
3. लाभार्थी के पिता/पति का नाम..........
4. आधार संख्या [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
5. उम्र वर्ष [ ] माह [ ] दिन [ ]
6. लाभार्थी का पता..........
   ....पिन- [ ]
7. मोबाइल/दूरभाष संख्या [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
8. स्थापित इकाई में गायों की संख्या [ ]
9. इकाई स्थापित करने के स्थान का पता..........
   ....पिन- [ ]

10. इकाई स्थापना पर व्यय का विवरण

क्र0सं0	मद	धनराशि(रूपये में)
01	गाय के क्रय पर व्यय	₹
02	गाय के परिवहन पर व्यय	₹
03	पशु ट्रांजिट बीमा पर व्यय	₹
04	03 वर्षों हेतु पशु बीमा पर व्यय	₹
05	चारा मशीन पर व्यय	₹
06	शेड निर्माण पर व्यय	₹
	योग	

11. इकाई स्थापना पर कुल लागत व्यय

रूपया (अंको में)..........

(शब्दों में)..........

12. बैंक खाते का विवरण (जिसमें प्रोत्साहन धनराशि अवमुक्त की जानी है)

   a. बैंक खाता संख्या..........

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 मुख्यालय लखनऊ

b. बैंक शाखा का नाम..

c. IFSC कोड...

d. बैंक शाखा का पता ....

....पिन- [ ]

मैं..............................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती......................................घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी सही है तथा गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाए।

स्थान-...

दिनांक-...

लाभार्थी का हस्ताक्षर

<u>अनिवार्य अनुलग्नक:-</u>

क. गाय क्रय से सम्बन्धित रसीद की प्रति।

ख. ट्रांजिट बीमा से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति।

ग. परिवहन व्यय रसीद की प्रति।

घ. 03 वर्षों हेतु क्रियाशील पशु बीमा से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति।

ङ. दुग्ध उत्पादक/पशुपालक लाभार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति।

च. गायों की पहचान हेतु माइक्रोचिप्स/ईयर टैगिंग सिस्टम / पहचान की किसी भी मान्यता प्राप्त प्रणाली का प्रमाण-पत्र एवं पहचान संख्या।

छ. सम्बन्धित विकास खण्ड के पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जिस पर गाय की प्रजाति का स्पष्ट उल्लेख भी किया गया हो।

ज. इस आशय का नोटरी शपथ-पत्र कि योजनान्तर्गत स्थापित इकाई से सम्बन्धित परिसम्पति (गायों को सम्मिलित करते हुए) का रख-रखाव कम से कम अगले 03 वर्ष तक लाभार्थी द्वारा किया जायेगा। तीन वर्ष के पूर्व यदि परिसम्पत्ति का विक्रय अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण किया जाता है, तो अनुदान की वसूली डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा कर ली जाये।

झ. लाभार्थी के बैंक पासबुक की छायाप्रति/कैन्सिल चेक।

ञ. चयन पत्र की छायाप्रति।

उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० मुख्यालय लखनऊ

ग्राण्ट-इन-एड योजना अंतर्गत अनुदान धनराशि स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र

कार्यालय के उपयोगार्थ

आवेदक का पासपोर्ट साइज का स्वाइस्ताक्षरित रंगीन फोटो

आवेदन संख्या

दिनांक

आवेदक द्वारा भरा जायेगा

1. आवेदक का नाम..
2. आवेदक के पिता/पति का नाम..
3. शैक्षणिक योग्यता..
4. आधार संख्या
5. उम्र

   वर्ष माह दिन

6. आवेदक का पता..

   ....

7. मोबाइल/दूरभाष संख्या
8. आवेदक/आवेदक के परिवार के पास उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
9. हरा चारा उगाने हेतु कृषि योग्य उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
10. वर्तमान में आवेदक के पास उपलब्ध मवेशियों की संख्या

    गाय भैंस बछड़ा बछिया बैल

11. गायों की नस्ल..
12. वर्तमान में आवेदक के पास कुल उत्पादित दूध की मात्रा (कि0ग्रा0 में)
13. वर्तमान में उत्पादित दूध के लिए उपलब्ध बाजार..
14. वर्तमान में उपलब्ध सरप्लस/विक्रय योग्य दूध (कि0ग्रा0 में)
15. आवेदक

    a. दूध समिति के सदस्य है- (हाँ/नही)

    b. डेयरी से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त किये है- (हाँ/नही)

16. निकटतम पशु चिकित्सालय की दूरी (किलोमीटर में)

मैं..............................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती..घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी सही है तथा गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाये।

स्थान-

दिनांक-

आवेदक का हस्ताक्षर

अनिवार्य अनुलग्नक:-

क. आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

ख. इस आशय का नोटरी शपथ पत्र कि पहले से 02 अधिक स्वदेशी उन्नत नस्ल की गाय अथवा संकर प्रजाति की एफ-1 गाय का पालन नही किया जा रहा है तथा पशुपालन हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।

UPSCFDC.IN

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 मुख्यालय लखनऊ

10. समूह आधारित बकरी पालन हेतु राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट।

कौशल विकास:-

- Goat Rearing(NARQ30029),

ग्राण्ट-इन-एड (अनुमानित):-

- 10 उच्च गुणवत्ता वाली बकरी की खरीद: ₹ 1,25,000/- (यह लागत विभिन्न नस्लों की बकरियों की खरीद पर निर्भर करेगी, उच्च दुग्ध उत्पादन वाली नस्लों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।)
- चारा काटने की मशीन: ₹ 15,000/-
- दवाइयाँ और टीकाकरण: ₹ 10,000/-
- अन्य उपकरण (पानी के बर्तन, खाने के बर्तन, आदि): ₹ 5,000/-
- परियोजना की कुल अनुमानित लागत = ₹ 1,55,000/-

नोट- जनपद एवं लाभार्थी की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित प्रोजेक्ट में अनुमानित लागत परिवर्तनीय है।

नियम :-

1. अनुसूचित जाति की केवल महिला लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
2. जनपद में समूह लेवल पर क्रियान्वयन होगा।
3. लाभार्थी की आवश्यकतानुसार जनपद स्तर पर प्री-स्क्रूटनी कमेटी की सहमति उपरान्त अन्य आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा।
4. लाभार्थी कोई भी बैंक से ऋण लेने के लिए स्वतन्त्र होगा।
5. डिजिटल लेन-देन की आदत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकतर लेन-देन खाते के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।
6. सामान क्रय करने हेतु भुगतान सीधा वेंडर के खाते में किया जायेगा।
7. सभी सामान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत न्यूनतम मापदण्ड जैसे-ISI रेटिंग, FSSAI रजिस्ट्रेशन, स्थानीय व्यवसाय करने हेतु रजिस्ट्रेशन(आदि जो भी लागू हो) के उपरांत क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. पीएम-अजय योजना से वित्तपोषित है यह टैग लगाना अनिवार्य होगा।
9. NRLM के SHME समूह जो केवल महिला लाभार्थी के हो जिन्हें अभी तक लाभान्वित नहीं किया गया है को वरीयता दी जायेगी।
10. लाइव-स्टॉक का क्रय सम्बन्धित नियम NABARD उत्तर प्रदेश के नंद बाबा दुग्ध योजना आदि पशुपालन विभाग द्वारा जारी नियम के पालन में होगा।
11. लाइव-स्टॉक का बीमा करवाना अनिवार्य होगा।
12. एक वर्ष तक प्रत्येक तीन माह में पशुपालन विभाग में पंजीकृत पशु चिकित्सक की जॉच रिपोर्ट समाज कल्याण अधिकारी (विकास) को देना सुनिश्चित करना होगा।
13. को-ऑपरेटिव सोसाइटी जैसे- अमूल, ज्ञान, पराग आदि से लिंक समूह के प्रोजेक्ट को अनुदान देने में वरीयता दी जायेगी।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मुख्यालय लखनऊ

11. क्लस्टर आधारित समूह में निर्माण कार्य करने हेतु मल्टी-स्किल्ड रिसोर्स बनाने हेतु स्टेट बेस्ड प्रोजेक्ट।

कौशल विकास:-

- Aluminium Fabrication(RSETI/218),
- Basic Welding(RSETI/224),
- Electrical Wiring(RSETI/235),
- Plumbing & Sanitary Works(RSETI/215),
- White washing colouring,
- wall writing and painting(RSETI/246),
- General EDP(RSETI/403),

ग्राण्ट-इन-एड (अनुमानित):-

- इलेक्ट्रिशियन उपकरण: ₹ 25,000 (टेस्टर, प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर सेट, वायरिंग उपकरण)
- प्लंबिंग उपकरण: ₹ 20,000 (पाइप कटर, रिंच सेट, सोल्डरिंग आयरन, पाइप फिटिंग्स)
- वेल्डिंग मशीन (छोटी): ₹ 35,000 (इलेक्ट्रोड, मास्क, दस्ताने)
- बेसिक टूल्स और उपकरण: ₹ 20,000 (हैंड टूल्स, मापने के उपकरण, सुरक्षा उपकरण)
- मोबाइल वर्कशॉप सेटअप (टूल बॉक्स, ट्रॉली): ₹ 10,000
- परियोजना की कुल अनुमानित लागत = ₹ 1,10,000/-
- परियोजना के ग्राण्ट इन एड घटक की प्रति व्यक्ति लागत = ₹ 1,10,000/-

नोट- जनपद एवं लाभार्थी की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित प्रोजेक्ट में अनुमानित लागत परिवतर्नीय है।

नियम :-

1. अनुसूचित जाति के सभी लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
2. जनपद में क्लस्टर लेवल पर क्रियान्वयन होगा।
3. लाभार्थी की आवश्यकतानुसार जनपद स्तर पर प्री-स्क्रूटनी कमेटी की सहमति उपरान्त अन्य आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा।
4. लाभार्थी कोई भी बैंक से ऋण लेने के लिए स्वतन्त्र होगा।
5. डिजिटल लेन-देन की आदत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकतर लेन-देन खाते के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।
6. सामान क्रय करने हेतु भुगतान सीधा वेंडर के खाते में किया जायेगा।
7. सभी सामान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत न्यूनतम मापदण्ड जैसे-ISI रेटिंग, FSSAI रजिस्ट्रेशन, स्थानीय व्यवसाय करने हेतु रजिस्ट्रेशन(आदि जो भी लागू हो) के उपरांत क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मुख्यालय लखनऊ

12. महिला गृह उद्योग/ स्वतः रोजगार आधारित क्लस्टर बेस्ड समूह हाइब्रिड स्टेट प्रोजेक्ट।

कौशल विकास:-

- Agarabathi Making(RSETI/312),
- Bag Making(RSETI/338),
- Candle Making(RSETI/337),
- Dona Pattal Making(RSETI/323),
- Handicrafts Manufacturing(RSETI/317),
- Paper Cover, Bag, Envelop & File Making(RSETI/316),
- General EDP(RSETI/403),

ग्राण्ट-इन-एड (अनुमानित):-

- मसाला पीसने की मशीन: ₹ 30,000/-
- पापड़ बनाने की मशीन (सेमी-ऑटोमेटिक): ₹ 70,000/-
- पैकेजिंग मशीन: ₹ 20,000/-
- कच्चे माल का प्रारंभिक स्टॉक (दाल, मसाले आदि): ₹ 30,000/-
- परियोजना की प्रति लाभार्थी कुल अनुमानित लागत = ₹ 1,50,000/-

नोट- जनपद एवं लाभार्थी की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित प्रोजेक्ट में अनुमानित लागत परिवतर्नीय है।

नियम :-

1. अनुसूचित जाति की केवल महिला लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
2. जनपद में क्लस्टर बेस्ड समूह लेवल पर क्रियान्वयन होगा।
3. लाभार्थी की आवश्यकतानुसार जनपद स्तर पर प्री-स्क्रूटनी कमेटी की सहमति उपरान्त अन्य आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा।
4. लाभार्थी कोई भी बैंक से ऋण लेने के लिए स्वतन्त्र होगा।
5. डिजिटल लेन-देन की आदत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकतर लेन-देन खाते के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।
6. सामान क्रय करने हेतु भुगतान सीधा वेंडर के खाते में किया जायेगा।
7. सभी सामान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत न्यूनतम मापदण्ड जैसे-ISI रेटिंग, FSSAI रजिस्ट्रेशन, स्थानीय व्यवसाय करने हेतु रजिस्ट्रेशन(आदि जो भी लागू हो) के उपरांत क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. पीएम-अजय योजना से वित्तपोषित है यह टैग लगाना अनिवार्य होगा।
9. ऐसे प्रोजेक्ट जिन्हें घर पर रहकर स्थानीय मांग के अनुसार क्रियान्वित किया जा सके।
10. इकाई को चलाने के लिए क्रय किये गये उपकरण/मशीन की विक्रेता द्वारा 01 वर्ष तक हैड-होल्डिंग एवं ट्रेनिंग देना अनिवार्य होगा।
11. कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित लाभार्थी/समूह को करनी होगा।

13. 2-व्हीलर/3-व्हीलर मैकेनिक सर्विस का क्लस्टर बेस्ड समूह आधारित हाइब्रिड प्रोजेक्ट।

कौशल विकास:-

- Automotive Spare Parts Operations Assistant(ASC/Q1501),
- Automotive Washer(ASC/Q1421),
- MECHANIC TWO &THREEWHEELER(DGT/1068),
- General EDP(RSETI/403),

ग्राण्ट-इन-एड (अनुमानित):-

- टूलकिट (स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर, रिंच सेट, आदि): ₹ 15,000/-
- वायरिंग टेस्टर और मल्टीमीटर: ₹ 5,000/-
- टायर चेंजिंग उपकरण: ₹ 10,000/-
- छोटी मरम्मत हेतु आवश्यक उपकरण: ₹ 10,000/-
- कार्यशाला हेतु आवश्यक सामान (ऑयल, ग्रीस, आदि): ₹ 5,000/-
- कंप्रेसर: ₹ 25,000/-
- व्हील बैलेंसिंग मशीन: ₹ 30,000/-
- कुल लागत ₹ 1,00,000/-

नोट- जनपद एवं लाभार्थी की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित प्रोजेक्ट में अनुमानित लागत परिवतर्नीय है ।

नियम :-

1. अनुसूचित जाति के सभी लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
2. जनपद में क्लस्टर बेस्ड समूह लेवल पर क्रियान्वयन होगा।
3. लाभार्थी की आवश्यकतानुसार जनपद स्तर पर प्री-स्क्रूटनी कमेटी की सहमति उपरान्त अन्य आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा।
4. लाभार्थी कोई भी बैंक से ऋण लेने के लिए स्वतन्त्र होगा।
5. डिजिटल लेन-देन की आदत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकतर लेन-देन खाते के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।
6. सामान क्रय करने हेतु भुगतान सीधा वेंडर के खाते में किया जायेगा।
7. सभी सामान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत न्यूनतम मापदण्ड जैसे-ISI रेटिंग, FSSAI रजिस्ट्रेशन, स्थानीय व्यवसाय करने हेतु रजिस्ट्रेशन(आदि जो भी लागू हो) के उपरांत क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. पीएम-अजय योजना से वित्तपोषित है यह टैग लगाना अनिवार्य होगा।
9. इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर बनाने के इच्छुक लाभार्थी को वरीयता दी जायेगी।
10. बड़ी कम्पनियाँ जैसे- टाटा, महिन्द्रा, बजाज आदि में कार्य करने के इच्छुक लाभार्थी को जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) द्वारा सर्वे के उपरान्त वरीयता दी जायेगी।

14. सर्विस क्लस्टर आधारित आईटी सपोर्ट/हार्डवेयर का कार्य करने हेतु स्टेट बेस्ड प्रोजेक्ट।

कौशल विकास:-

- Application Maintenance Engineer(SSC/Q0201),
- COURSE ON COMPUTER CONCEPTS (CCC)(2020/ITES/NIELIT/038883),
- HTML and MS Office(CC/0004),
- Computer Basics(RSETI/210),
- Computer Hardware (A+) & Networking (N+)(RSETI/212),
- General EDP(RSETI/403),
- Certified Computer Application Accounting and Publishing Assistant(2022/ITES/NIELIT/06336),

ग्राण्ट-इन-एड (अनुमानित):-

- लैपटॉप: ₹ 40,000
- प्रिंटर (All-in-One): ₹ 15,000
- UPS (अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई): ₹ 10,000
- बेसिक आईटी उपकरण (स्क्रू ड्राइवर सेट, केबल, आदि): ₹ 5,000
- शुरुआती स्टॉक (सॉफ्टवेयर, आईटी हार्डवेयर आदि): ₹ 80,000
- परियोजना की प्रति लाभार्थी कुल अनुमानित लागत = ₹ 1,50,000/-

नोट- जनपद एवं लाभार्थी की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित प्रोजेक्ट में अनुमानित लागत परिवतर्नीय है।

नियम :-

1. अनुसूचित जाति के सभी लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
2. जनपद में क्लस्टर लेवल पर क्रियान्वयन होगा।
3. लाभार्थी की आवश्यकतानुसार जनपद स्तर पर प्री-स्क्रूटनी कमेटी की सहमति उपरान्त अन्य आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा।
4. लाभार्थी कोई भी बैंक से ऋण लेने के लिए स्वतन्त्र होगा।
5. डिजिटल लेन-देन की आदत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकतर लेन-देन खाते के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।
6. सामान क्रय करने हेतु भुगतान सीधा वेंडर के खाते में किया जायेगा।
7. सभी सामान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत न्यूनतम मापदण्ड जैसे-ISI रेटिंग, स्थानीय व्यवसाय करने हेतु रजिस्ट्रेशन(आदि जो भी लागू हो) के उपरांत क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. पीएम-अजय योजना से वित्तपोषित है यह टैग लगाना अनिवार्य होगा।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा।

उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० मुख्यालय लखनऊ

15. क्लस्टर आधारित मॉड्यूलर फर्निचर/ बढ़ई का कार्य करने हेतु स्टेट बेस्ड प्रोजेक्ट।

कौशल विकास:-

- Sales Executive - Furniture & Fittings(FFS/Q8101),
- Master Carpenter(FFS/Q2204),
- Assembler Modular Furniture(FFS/Q5101),
- Lead Carpenter - Wooden Furniture(FFS/Q0104),
- General EDP(RSETI/403),

ग्राण्ट-इन-एड (अनुमानित):-

- वुड कटिंग मशीन: ₹ 75,000/-
- ड्रिल मशीन: ₹ 15,000/-
- सैंडिंग मशीन: ₹ 10,000/-
- हैंड टूल्स (हैंड सॉ, चिसल, स्क्रू ड्राइवर, लेवल, टेप माप): ₹ 5,000/-
- सुरक्षा उपकरण (गॉगल्स, दस्ताने, मास्क): ₹ 5,000/-
- अन्य सामग्री (पेच, पेंच, लकड़ी की अलग अलग किस्में आदि): ₹ 10,000/-
- परियोजना की कुल अनुमानित लागत = ₹ 1,20,000/-

नोट- जनपद एवं लाभार्थी की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित प्रोजेक्ट में अनुमानित लागत परिवर्तनीय है।

नियम :-

1. अनुसूचित जाति के सभी लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
2. जनपद में क्लस्टर लेवल पर क्रियान्वयन होगा।
3. लाभार्थी की आवश्यकतानुसार जनपद स्तर पर प्री-स्क्रूटनी कमेटी की सहमति उपरान्त अन्य आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा।
4. लाभार्थी कोई भी बैंक से ऋण लेने के लिए स्वतन्त्र होगा।
5. डिजिटल लेन-देन की आदत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकतर लेन-देन खाते के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।
6. सामान क्रय करने हेतु भुगतान सीधा वेंडर के खाते में किया जायेगा।
7. सभी सामान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत न्यूनतम मापदण्ड जैसे-ISI रेटिंग, FSSAI रजिस्ट्रेशन, स्थानीय व्यवसाय करने हेतु रजिस्ट्रेशन(आदि जो भी लागू हो) के उपरांत क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. पीएम-अजय योजना से वित्तपोषित है यह टैग लगाना अनिवार्य होगा।
9. IKEA, Amazon आदि जैसे डिजिटल प्लेटफार्म से लिकेंज।
10. मशीन के माध्यम से कार्य करने के इच्छुक लाभार्थी को वरीयता।

उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० मुख्यालय लखनऊ

16. सर्विस क्लस्टर आधारित जन सुविधा केंद्र का कार्य करने हेतु स्टेट बेस्ड प्रोजेक्ट।

कौशल विकास :-

- HTML and MS Office(CC/0004),
- Hindi Typing(CC/0005),
- English Typing(CC/0007),
- Computer Basics(RSETI/210),
- General EDP(RSETI/403),
- Certificate Course in ITES BPO, Soft Skills & Communicative English(2021/ITES/NIELIT/04684),
- Certified Data Entry and Office Assistant (Upskilling)(2022/ITES/NIELIT/06337),

ग्राण्ट-इन-एड (अनुमानित):-

- हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन (1 वर्ष का): ₹ 10,000/-
- डेस्कटॉप कंप्यूटर (प्रिंटर सहित): ₹ 70,000/-
- लेमिनेशन मशीन: ₹ 10,000/-
- फोटोकॉपी मशीन: ₹ 25,000/-
- अन्य कार्यालय उपकरण (टेबल, कुर्सियाँ, अलमारी): ₹ 15,000/-
- सॉफ्टवेयर लाइसेंस (विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए): ₹ 5,000/-
- बिजली बैकअप (इन्वर्टर/बैटरी): ₹ 15,000/-
- परियोजना की कुल अनुमानित लागत = ₹ 1,50,000/-

नोट- जनपद एवं लाभार्थी की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित प्रोजेक्ट में अनुमानित लागत परिवतर्नीय है।

नियम :-

1. अनुसूचित जाति के सभी लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
2. जनपद में क्लस्टर लेवल पर क्रियान्वयन होगा।
3. लाभार्थी की आवश्यकतानुसार जनपद स्तर पर प्री-स्क्रूटनी कमेटी की सहमति उपरान्त अन्य आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा।
4. लाभार्थी कोई भी बैंक से ऋण लेने के लिए स्वतन्त्र होगा।
5. डिजिटल लेन-देन की आदत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकतर लेन-देन खाते के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।
6. सामान क्रय करने हेतु भुगतान सीधा वेंडर के खाते में किया जायेगा।
7. सभी सामान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत न्यूनतम मापदण्ड जैसे-ISI रेटिंग, स्थानीय व्यवसाय करने हेतु रजिस्ट्रेशन(आदि जो भी लागू हो) के उपरांत क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. पीएम-अजय योजना से वित्तपोषित है यह टैग लगाना अनिवार्य होगा।
9. स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
10. जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा।
11. ऐसे स्थान जहाँ जन सुविधा केन्द्र नहीं है वहाँ जन सुविधा केन्द्र खोलने वाले लाभार्थी को वरीयता।
12. मेधावी छात्र/छात्राओं को अपने ग्राम में रहकर जन सुविधा केन्द्र खोलने के इच्छुक उनको वरीयता दी जायेगी।

उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० मुख्यालय लखनऊ

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, लखनऊ

Uttar Pradesh Scheduled Caste Finance and Development Corporation Limited, Lucknow

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना
Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojna (PM-AJAY)

पंजीकरण क्रमांक:____________

पीएम-अजय योजना के ग्रांट-इन-एड घटक के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं से वित्त पोषण हेतु आवेदन-पत्र

(आवेदन-पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये)

आवेदक की फोटो
(3.5 cm x 4.5 cm)

1. आधार कार्ड नंबर ____________
2. आवेदक का पूरा नाम (आधार कार्ड के अनुसार):
   श्री / श्रीमती / कुमारी / सुश्री ____________
3. मण्डल : ____________
4. जिला : ____________
5. लिंग (चिह्न ✓):

पुरुष		महिला		अन्य	

6. जन्म की तिथि:(DD/MM/YYYY)
7. आवेदक के पिता / पति का नाम : ____________
8. मोबाइल नंबर : ____________
9. ईमेल : ____________
10. पैन नंबर : ____________
11. अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र संख्या : ____________
12. आवेदक की वार्षिक आय : ____________
13. क्या आवेदक विकलांग है (चिह्न ✓) : (हाँ / नहीं)
14. शैक्षिक योग्यता (चिह्न ✓):

आठवीं से कम	आठवीं पास	10 वीं पास	12 वीं पास	स्नातक	स्नातकोत्तर	पीएचडी

15. वर्तमान / पत्राचार का पता : ____________
    तहसील : ____________
    ज़िला : ____________
    राज्य : ____________
    पिन कोड : ____________
16. स्थाई पता : ____________
    तहसील : ____________
    ज़िला : ____________
    राज्य : ____________
    पिन कोड : ____________

उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० मुख्यालय लखनऊ

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, लखनऊ

Uttar Pradesh Scheduled Caste Finance and Development Corporation Limited, Lucknow

17. इकाई स्थान (राजस्व रिकार्ड के अनुसार) (चिह्न ✓):

ग्रामीण		शहरी	

18. प्रस्तावित इकाई का पता : ____________________

तहसील : ____________________

जिला : ____________________

राज्य : ____________________

पिन कोड : ____________________

19. योजना का प्रकार (चिह्न ✓):

उत्पादन		सेवा	

20. परियोजना का नाम : ____________________
21. क्या ईडीपी प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है (चिह्न ✓) : (हाँ / नहीं)
22. यदि हाँ, तो कृपया ईडीपी प्रशिक्षण विवरण भरें:

ईडीपी प्रशिक्षण संस्थान का नाम : ____________________

23. परियोजना की कुल लागत (अंकों में): ____________________
24. परियोजना की कुल लागत (शब्दों में): ____________________
25. वित्तपोषण बैंक और पता : ____________________

आईएफएससी कोड : ____________________

शाखा का नाम : ____________________

पता : ____________________

जिला : ____________________

पिन कोड : ____________________

26. क्या पूर्व में किसी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया था? (विवरण लिखें)

____

27. पूर्व प्राप्त लाभ के ऋण के अंश की वसूली की अध्यावधिक स्थिति : ____________________

UPSCFDC.IN

घोषणा :

मैं ____________________, घोषणा करता / करती हूँ की ऊपर दी गयी जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है। कोई भी जानकारी गलत/झूठ पाए जाने पर मैं उचित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा / होऊँगी।

मैं पीएम-अजय योजना के ग्रांट-इन-एड घटक के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक और/ या ओटीपी प्रदान करने के लिए सहमति देता/देती हूँ।

दिनांक : __________

आवेदक के हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, लखनऊ

Uttar Pradesh Scheduled Caste Finance and Development Corporation Limited, Lucknow

टिप्पणी:

कृपया आवेदन पात्र के साथ निम्नलिखित स्व-सत्यापित दस्तावेज जमा करें (यदि लागू हो):

- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पास बुक की प्रति
- विकलांगता का प्रमाण पत्र
- उच्चतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- ईडीपी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
- ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र
- परियोजना रिपोर्ट।

UPSCFDC

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, लखनऊ

Uttar Pradesh Scheduled Caste Finance and Development Corporation Limited, Lucknow

पावती रसीद

पावती संख्या :

हम पीएम-अजय योजना के ग्रांट–इन–एड घटक के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन भरने और पीएम-अजय पोर्टल पर दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए__________________________________

____

____

____

_______(आवेदक का नाम और पता) से सभी आवश्यक स्व-सत्यापित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते है।

आगे की सहायता और आवेदन की स्थिति के लिए, इस कार्यालय से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

स्थान:

दिनांक :

हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

UPSCFDC.IN

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० मुख्यालय लखनऊ

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजनान्तर्गत

निर्मित अनुदान सहायता समूह

पीएम-अजय (ग्राण्ट-इन-एड)

परियोजना का नाम-..

समूह का नाम-..

सम्बन्धित ग्राम पंचायत ....विकास खण्ड- ....

जनपद-.................................... उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजनान्तर्गत

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के समूह गठन हेतु प्रस्ताव

आज दिनांक................................ को ग्राम पंचायत...............................के ग्राम............................ में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के समूह गठन हेतु बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें निम्नांकित सदस्यों द्वारा चर्चा के उपरान्त सर्व सहमति से समूह का नाम... रखा गया। समूह के सफल संचालन हेतु सभी सदस्यों से चर्चा कर सर्व सहमति से अध्यक्ष पद हेतु श्री/श्रीमती .... पिता/ पति श्री/श्रीमती...एंव सचिव हेतु श्री/श्रीमती.................................... पिता/पति श्री.. एंव कोषाध्यक्ष पद हेतु श्री/श्रीमती .... पिता/पति श्री.. का चयन किया गया।

समूह में सम्मिलित सदस्यों के विवरण हस्ताक्षर सहित निम्नांकित है:-

क्र0	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	शिक्षा	आधार नं0	मोबाइल नम्बर	अभ्युक्ति	हस्ताक्षर
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

अध्यक्ष **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

पीएम-अजय अनुसूचित जाति अनुदान सहायता समूह

(प्रतिहस्ताक्षरित)

पटल सहायक
अनुगम

सहायक योजना प्रबन्धक
अनुगम

जिला प्रबन्धक
अनुगम

UPSCFDC.IN

1. समूह का नाम :..
2. परियोजना स्थापना का पूर्ण पताः- ग्राम पंचायत ....ग्राम ....
विकास खण्ड :...................................जनपद..
3. समूह के प्रमुक उद्देश्य एवं कार्यः-

- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आय सृजित परियोजना स्थापित किये जाने हेतु संगठित करना।
- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को समूह के माध्यम से आर्थिक उत्थान हेतु आय-सृजित परियोजनाओं के संचालन हेतु प्रेरित व जागरूक करना।
- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक करना।
- समूह के सदस्यो को सहायता एवं आत्मविश्वास की भावना से कार्य करने हेतु प्रेरित करना।
- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में नेतृत्व की क्षमता विकसित करना।
- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान करना।
- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को समाज-हित में आवश्यक कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- स्थानीय संसाधनों को चिन्हित करना एवं उनकी पूर्ति विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से कराना।
- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में बचत की आदत को विकसित करना।
- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वास्थ्य, पोषण, बालक/बालिका शिक्षा इत्यादि मुद्दों पर जागृत करना।

4. समूह की सदस्यता :-

- अनुसूचित जाति समूह का सदस्य एक परिवार से एक ही व्यक्ति होगा।
- समूह की सदस्यता अधिकतम 10 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों तक सीमित होगी।

5. समूह की बैठक :-

- समूह की बैठक पाक्षिक होगी। बैठक का दिन और समय सर्वसम्मति से पूर्व एजेण्डे के अनुसार तय किया जायेगा।
- बैठक में सदस्यों द्वारा निर्धारित प्रस्ताव पर चर्चा की जायेगी।
- एक कार्यवाही पुस्तिका में बैठक की कार्यवाही का विवरण लिखना अनिवार्य होगा।
- बैठक में कोई भी नियम या प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित किया जायेगा।
- समूह की समस्या को समूह के सदस्यों द्वारा ही सुलझाया जायेंगा।
- बैठक में बिना सूचना के आधार पर अनुपस्थित रहने पर और देर से आने पर दण्ड लगेगा।
- बैठक में लगातार चार बैठकों में अनुपस्थिति से किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

6. ऋण का लेन-देन :-

- समूह के सदस्यों द्वारा परियोजना के आधार पर ऋण की राशि बैंक के माध्यम से स्वीकृत करायी जायेगी।
- ऋण के किश्त का निर्धारण समूह के सदस्यों द्वारा ऋण के प्रकृति के आधार पर किया जायेगा।
- समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी सदस्यों द्वारा बैंक द्वारा प्रदत्त किये गये ऋण तय समय-सीमा पर अदायगी की जायेगी।
- समूह में प्रस्ताव पास होने के बाद एक ही बैंक से रूपये की निकासी की जायेगी।

उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० मुख्यालय लखनऊ

7. पदधारियों का चयन :-. ....योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के अनुदान सहायता समूह में अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष होंगे। पदधारियों का चयन आम सहमति के आधार पर किया जायेगा। यदि एक पद के लिये दो से अधिक सदस्य दावेदार होते हैं तो वैसी परिस्थिति में दो-तिहाई बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

8. पदधारियों का चक्रीय बदलाव :- स्वयं सहायता समूह द्वारा पदधारियों का चयन दो वर्षों के लिये होगा। दो वर्ष के बाद पुनः समूह के एक तिहाई पदधारियों के बदलाव के लिये चुनाव होगा, ताकि समूह के अन्य सदस्यों को भी समूह के नेतृत्व करने का मौका मिल सके।

9. अध्यक्ष का कार्य एवं उत्तरदायित्व :-

- बैठक बुलाना एवं बैठक की अध्यक्षता करना।
- सभी सदस्यों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना।
- बैठक में सदस्यों द्वारा लाये गये प्रस्ताव को रखना एवं चर्चा करना।
- निर्णय न होने की स्थिति में निर्णायक मत देकर प्रस्ताव पारित करना।
- सदस्यों की उपस्थिति एवं बचत पर चर्चा करना।
- नियम के पालन पर चर्चा करना।
- आपसी झगड़ों एवं अन्य मामलों के सम्बन्ध में आम सहमति के आधार पर निर्णय लेना।
- परियोजना का सुचारू रूप से संचालन करना।

10. सचिव के कार्य एवं उत्तरदायित्व :-

- समूह के नियम के पालन पर जोर देना।
- समूह के खाताबही की देख-रेख करना।
- बैठक की कार्यवाही को बैठक पंजिका में लिपिबद्ध करना।
- समूह के नियम/प्रस्ताव को क्रियान्वित करना।
- परियोजना का सुचारू रूप से संचालन करना।

11. कोषाध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व :-

- समूह के पैसे का हिसाब-किताब रखना।
- बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण की किश्तों के सम्बन्ध में चर्चा करना व सदस्यों को ऋण अदायगी हेतु जागरूक करना।
- बैंक में पैसा जमा करना एवं जरूरत पड़ने पर निकासी करना।
- समूह के पैसे को सुरक्षित रखना।
- बैंक खाता का संचालन करना।
- परियोजना संचालन में वित्तीय जोखिम उत्पन्न न हो उसके प्रति समूह के सभी सदस्यों को जागरूक करना।

12. सदस्यों का कार्य एवं उत्तरदायित्व :-

- सभी सदस्य समूह में एकता और सहयोग की भावना रखेंगे।
- सभी सदस्य एक दूसरे को समान अवसर देंगे एवं प्रोत्साहित करेंगे।
- सभी सदस्य आवश्यक संसाधनों का न्यायपूर्ण एवं उचित तरीके से मोबलाइज, उपयोग करेंगे।
- सभी सदस्यों का दायित्व होगा कि जान-बूझकर ऋण नहीं चुकाने वाले सदस्यों से ऋण वसूली करने हेतु सामूहिक कार्यवाही करेंगे।
- सभी सदस्य विकास सम्बन्धी कार्यों के लिये उत्तरदायी होंगे और सेवा की भावना के साथ नेतृत्व की जिम्मेदारी लेंगे।

उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० मुख्यालय लखनऊ

- सभी सदस्य योजना, क्रियान्वयन, अनुश्रवण और विकास सम्बन्धी कार्यों के मूल्यांकन में भाग लेकर मूल्यांकन सम्बन्धी तथ्यों पर उचित कार्यवाही करेंगे।
- सभी सदस्य गांव एवं समूह की एकता एवं अखंडता को बनाये रखने के लिये प्रोत्साहित करें।
- सभी सदस्य समूह द्वारा बनाये गये नियमों का अक्षरशः पालन करेंगे।
- सदस्यों को ही पदधारियों का चयन करने का अधिकार होगा।

13. समूह का विघटन :- समूह का विघटन समूह की कुल देनदारी एवं लेनदारी समायोजन के बाद दो-तिहाई मतों द्वारा आम सहमति के आधार पर होगा।

UPSCDC.IN

प्रमाणित किया जाता है कि समूह के उपरोक्त सभी सदस्यो ने आज दिनांक...................... को प्रस्ताव/समूह गठन की स्वीकृति के उपरांत हस्ताक्षर अंकित किये गये है।

(अध्यक्ष) **(सचिव)** **(कोषाध्यक्ष)**

प्रपत्र- 03

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजनान्तर्गत

क्लस्टर आधारित अनुदान सहायता प्रपत्र

पीएम-अजय (ग्राण्ट-इन-एड)

क्लस्टर आधारित परियोजना का नाम-..

जनपद-.. उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0

PM-AJAY ग्राण्ट-इन-एड योजनान्तर्गत क्लस्टर आधारित परियोजना प्रपत्र

1. परियोजना का नाम: ______________________________

2. क्लस्टर का नाम: ______________________________

3. शामिल ग्रामों की सूची (क्लस्टर में):

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	ब्लॉक का नाम	तहसील	अनुमानित सदस्यों की संख्या

4. सम्मिलित नगर क्षेत्र की सूची (क्लस्टर में):

क्रम संख्या	वार्ड का नाम	शहरी क्षेत्र का नाम	अनुमानित सदस्यों की संख्या

5. क्लस्टर स्तर की सामूहिक गतिविधियाँ (यदि कोई हो):

____

____

____

6. क्लस्टर में सम्मिलित सदस्यों के नामः

सूची **संलग्नक-"क"** में दिये गये प्रारूप पर निरन्तर जनपदीय कार्यालय द्वारा अद्यावधिक की जाएगी।

UPSCFDC.IN

उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० मुख्यालय लखनऊ

7. क्लस्टर के सदस्यों का परियोजना के संबंध में पूर्व अनुभव (यदि कोई हो):

____

____

____

8. अपेक्षित विभागीय सहयोग / अन्य स्रोत से योगदान:

- एप के माध्यम से बाजार से जुड़ने में सहायता (फॉरवर्ड लिंकेज)।
- जीएसटी, ब्रान्डिंग आदि में सहयोग।
- समय-समय पर क्लस्टर के सदस्यों की ट्रेंनिग व मॉनिटरिंग हेतु मीटिंग।

9. घोषणाएँ (Declarations):

1. हम यह प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त दी गई जानकारी सत्य एवं प्रमाणिक है।
2. प्रस्तावित क्लस्टर PM-AJAY योजना के उद्देश्य एवं दिशा के अनुरूप है।
3. जनपदीय कार्यालय से उपरोक्त कलस्टर को सफल बनाने हेतु पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

पटल सहायक	**सहायक योजना प्रबन्धक**	**जिला प्रबन्धक**
अनुगम	**अनुगम**	**अनुगम**

संलग्नक:

- संलग्क-"क"
- परियोजना स्वीकृति पत्र।
- परियोजना लागत का विवरण (Detailed Project Report)।
- अन्य समर्थन दस्तावेज।

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 मुख्यालय लखनऊ

UPSCFDC.IN

संलग्नक-"क"

PM-AJAY ग्राण्ट-इन-एड योजनान्तर्गत क्लस्टर आधारित परियोजना में सम्मिलित सदस्यों का विवरण

घोषणाएँ (Declarations):

1. हम यह प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त दी गई जानकारी सत्य एवं प्रमाणिक है।
2. प्रस्तावित क्लस्टर PM-AJAY योजना के उद्देश्य एवं दिशा के अनुरूप है।
3. क्लस्टर के किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सरकारी योजना में अनियमितता नहीं की गई है।
4. परियोजना हेतु दी गई सहायता का उपयोग केवल योजनानुसार किया जाएगा।
5. परियोजना की निगरानी, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग में सहयोग प्रदान किया जाएगा।

क्र0 सं0	विवरण	हस्ताक्षर (लाभार्थी का)	फोटो
	1. सदस्य/प्रोजेक्ट का नाम...... 2. स्थान...... 3. प्रोजेक्ट धनराशि......		जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) से प्रतिहस्ताक्षरित
	1. सदस्य/प्रोजेक्ट का नाम...... 2. स्थान...... 3. प्रोजेक्ट धनराशि......		जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) से प्रतिहस्ताक्षरित
	1. सदस्य/प्रोजेक्ट का नाम...... 2. स्थान...... 3. प्रोजेक्ट धनराशि......		जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) से प्रतिहस्ताक्षरित
	1. सदस्य/प्रोजेक्ट का नाम...... 2. स्थान...... 3. प्रोजेक्ट धनराशि......		जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) से प्रतिहस्ताक्षरित
	1. सदस्य/प्रोजेक्ट का नाम...... 2. स्थान...... 3. प्रोजेक्ट धनराशि......		जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) से प्रतिहस्ताक्षरित

नोट-यह संलग्नक प्रारूप के रूप में दिया गया है सदस्यों की संख्या बढ़ने पर टेबल इसी रूप पेज नम्बर अंकित करते हुए बढ़ायी जा सकती है।

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 मुख्यालय लखनऊ

UPSCFDC.IN

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजनान्तर्गत

निर्मित अनुदान सहायता समूह/क्लस्टर हेतु प्री-स्कूटनी सत्यापन रिपोर्ट

1. समूह का नाम अथवा क्लस्टर आधारित परियोजना का नाम-

....

2. समूह/क्लस्टर में परियोजना हेतु चयनित लाभार्थियों की संख्या..........................
3. वित्त पोषित बैंक व शाखा का नाम..
4. लाभार्थी का आधार कार्ड नम्बर...
5. लाभार्थी का मोबाइल नम्बर..
6. लाभार्थी का जाति प्रमाण पत्र संख्या..
7. लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र संख्या...
8. लाभार्थी का निवास प्रमाण पत्र संख्या..
9. लाभार्थी के बैंक खाते का विवरण..
10. लाभार्थी का CIBIL स्कोर.......................
11. लाभार्थी का अनुगम में पूर्व ऋण का विवरण (यदि है तो)......................

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त योजनान्तर्गत लाभार्थी का चयन किये जाने हेतु उक्त लाभार्थी द्वारा समस्त आर्हतायें पूरी पायी गयी।

सदस्य	सदस्य	सदस्य सचिव	अध्यक्ष
(टै0आ0)	(ग्रा0/स0वि0अधि0)	(स0यो0प्र0)	(जिला प्रबन्धक)

UPSCFDC.IN

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजनान्तर्गत

निर्मित अनुदान सहायता समूह/क्लस्टर हेतु परियोजना स्थापना निरीक्षण आख्या

1. समूह का नाम अथवा क्लस्टर आधारित परियोजना का नाम-

....

2. परियोजना स्थापना का पूर्ण पता-..

परियोजना स्थापित किये जाने से सम्बन्धित जियो टैग फोटो लाभार्थी के साथ

3. परियोजना लागत...................................स्वीकृत बैंक ऋण..............................

4. अवमुक्त बैंक ऋण..............................वेण्डर का नाम.......................................

5. बैंक द्वारा वेण्डर को अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण- ....

6. प्रशिक्षण का दिनांक व प्रमाण पत्र संख्या..

7. परियोजना संचालन की स्थिति ....

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थी को बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण के सापेक्ष परियोजना स्थापित कर ली गयी है एवं परियोजना का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 मुख्यालय लखनऊ

सदस्य सचिव (स0यो0प्र0)	शाखा प्रबन्धक बैंक का नाम	अध्यक्ष (जिला प्रबन्धक)

प्रपत्र- 06

अनुबन्ध पत्र

समक्ष श्रीमान जिला प्रबन्धक/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) जनपद..................
मै...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....
निवासी.. घोषणा करता/करती हूँ कि:- प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के घटक ग्राण्ट-इन-एड अनुदान सहायता के अंतर्गत परियोजना का नाम .... हेतु अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के तहत स्वीकार की जाती है-

1. यह कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है व उक्त योजनान्तर्गत समूह/क्लस्टर के माध्यम से रोजगार हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा उक्त योजनान्तर्गत समस्त अर्हताओं की पूर्ति हेतु प्रस्तुत किये किये गये समस्त अभिलेख सही है।
3. यह कि प्रार्थी द्वारा समूह/क्लस्टर के माध्यम से परियोजना स्थापित करेगा एवं बैंक द्वारा प्रदत्त की गयी धनराशि का सदुपयोग करते हुए ससमय ऋण की अदायगी करेगा।
4. यह कि प्रार्थी को अनुगम द्वारा योजना संचालन से पूर्व प्रदान किया जाना वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण निष्ठा के साथ ग्रहण करने के उपरांत परियोजना संचालित करेगा।
5. यह कि प्रार्थी द्वारा इससे पूर्व निगम द्वारा संचालित किसी भी योजना में ऋण नही लिया गया है और न ही सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अनुदान की धनराशि प्राप्त की है।
6. यह कि प्रार्थी द्वारा परियोजना हेतु बैंक से स्वीकृति ऋण का उपयोग परियोजना से सम्बन्धित कार्यों पर ही व्यय करेगा।
7. यह कि प्रार्थी द्वारा परियोजना हेतु बैंक द्वारा प्रदत्त की गयी धनराशि से 15 दिवस में इकाई स्थापना कार्य पूर्ण कराकर सम्बन्धित कार्यालय को सूचना उपलब्ध करा देगा।
8. यह कि उक्त योजनान्तर्गत प्रार्थी को प्रदान की जाने वाली अनुदान धनराशि का सदुपयोग करेगा एवं परियोजना स्थापित न होने की दशा में अनुदान धनराशि को अनुगम कार्यालय को वापस करेगा।
9. यह कि उक्त परियोजना हेतु लाभार्थी द्वारा अपने समस्त अभिलेखों को बैंक व अनुगम कार्यालय के प्रयोगार्थ में लिये जाने हेतु अपनी सहमति से स्वीकृति प्रदान की गयी है।
10. यह कि बैंक परियोजना स्थापित किये जाने हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण के सापेक्ष बैंक गारण्टी (सी0जी0टी0एम0एस0ई0) से सम्बन्धित चार्जेस हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।
11. यह कि अनुगम द्वारा निर्धारित परियोजनाओं के अनुरूप ही मेरे द्वारा इकांई का संचालन किया जायेगा।

यह कि बिन्दु संख्या- 01 से 11 तक मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है मेरे द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाया नही गया और न ही मिथ्या तथ्यों को अंकित किया गया है।

उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० मुख्यालय लखनऊ

दिनांक-...................

हस्ताक्षरकर्ता

नाम.................